"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 अक्टूबर, 2002—आश्विन 19, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 2313/1818/2002/1/2.—श्री एस. के. कुजूर, भा. प्र. से. (1986), संचालक, लोक शिक्षण एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल को स्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदेन सचिव, शिक्षा विभाग घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ 02-13/2001/1-8.—श्री जे. के. एस. राजपूत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव, जिनकी सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा इस विभाग को सौंपी जा रही है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ-1-2/2002/1-8/स्था.—श्री एम. डी. दीवान, रा. प्र. से., स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, जल संसाधन विभाग को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पदस्थ किया जाता है.

2. उपर्युक्तानुसार श्री दीवान द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप श्री एच. यू. खान, अवर सचिव, पुनर्वास, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास (अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) विभाग, अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ 8-45/2002/1/5.—म. प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्र. 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.

   (2) यह 1 नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाए. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किए जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गयी कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश तथा मध्यावर्त अधिवास नियम, 1997.
2.	आयुक्त, मध्यप्रदेश कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, नई दिल्ली, (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2000.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ 8-45/2002/1/5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 8-45/2002/1/5, दिनांक 3-9-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उप-सचिव.

Raipur, the 3rd September 2002

No. F 8-45/2002/1/5.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (No. 28 of 2000). The State Government hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (1) This order may be called the Adaptation of laws order, 2002.

   (2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the Schedule to this order, which were in force in the state of Madhya Pradesh immediately before in the formation of the State of Chhattisgarh,

are hereby extended to and shall be in force in the state of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in all the laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, rule, regulation, certificate or license) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the schedule shall continue to be in force in the state of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the laws (2)
1.	Madhya Pradesh and Madhavart Adhivas Rules, 1997.
2.	Madhya Pradesh Office of the Commissioner Government of Madhya Pradesh at New Delhi (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2000.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. C. SURYA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ-6-11/2002/1/5.—म. प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्र. 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम नियमों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.

(2) यह नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित की जाती है तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं. ऐसे उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त नियमों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किया जाय.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कोई भी बात या की गई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रारूप, विनियम, प्रमाणपत्र व अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधि का नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश राज्य अतिथि नियम, 1958.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ 6-11/2002/1/5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-6-11/2002/1/5, दिनांक 3-9-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उप-सचिव.

Raipur, the 3rd September 2002

No. F-6-11/2002/1/5.—In exercise of the power conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (No. 28 of 2000). The State Government hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (1) This order may be called the Adaptation of Laws Order, 2002.

(2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before in the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in all the laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, rule, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified, in the schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

No. (1)	Name of the Laws (2)
1.	Madhya Pradesh State Guest Rules, 1958.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. C. SURYA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ-5-1/2001/1/6.—राज्य शासन, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 240/264/2001/1/6, दिनांक 15-10-2001 के अनुक्रम में ग्राम अचानकमार थाना कोटा जिला बिलासपुर में घटित घटना की न्यायिक जांच हेतु गठित आयोग के कार्यकाल में दिनांक 18-9-2002 से दो माह की अवधि की वृद्धि किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2002

क्रमांक 96/स./ऊ. वि./2002.—राज्य सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 15 (डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने, समन्वय व विनियमन संबंधी उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए "छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी" (क्रेडा) को "विहीत एजेंसी" नामित करती है.

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त मानी जाएगी.

Raipur, the 29th July 2002

No. 96/Energy dept./2002.—In exercise of the powers conferred by Section 15 (d) of the Energy Conservation Act, 2001, the State Government hereby designates "Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency" (CREDA) as designated agency to coordinate, regulate and enforce provisions of Energy Conservation Act, 2001 within the state of Chhattisgarh.

This notification will come in to force with immediate effect.

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2002

विषय :—छत्तीसगढ़ राज्य में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न सुविधाओं तथा पारदर्शी आवंटन प्रक्रिया के लिये नीति-निर्देश.

क्रमांक 131/ऊर्जा/2002.—राज्य शासन, ऊर्जा विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक 38, दिनांक 8-4-2002 द्वारा राज्य में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों को दी जाने वाली सुविधाओं संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये हैं.

प्रदूषण रहित स्वच्छ ऊर्जा के रूप में लघु जल विद्युत परियोजनाओं में निवेशकों को आकर्षित करने एवं पारदर्शी आवंटन प्रक्रिया के उद्देश्य से 10 मेगावॉट क्षमता तक की लघु जल विद्युत

परियोजनाओं हेतु राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार नीति-निर्देश जारी करता है :—

1. **लघु जल विद्युत परियोजनाओं हेतु निवेश**

इन परियोजनाओं का विकास नोडल एजेन्सी (क्रेडा) द्वारा सामान्यत: निजी निवेश से कराया जायेगा. किन्तु जहां उचित हो वहां नोडल एजेन्सी द्वारा स्वयं के स्रोतों से अथवा संयुक्त निवेश के द्वारा भी विकास किया जा सकेगा. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल भी आवश्यकता अनुसार इन परियोजनाओं का विकास कर सकेगा.

2. **परियोजना स्थानों का चिन्हीकरण**

नोडल एजेन्सी परियोजना के लिये उपयुक्त संभाव्य स्थानों का प्राथमिक चयन कर राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन के माध्यम से इच्छुक उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित करेगी. इच्छुक उद्यमी स्वयं भी योग्य स्थानों का चयन कर आवेदन देने के लिये स्वतंत्र होंगे, बशर्ते कि ऐसे स्थान शासन द्वारा सिंचाई अथवा पेयजल के लिये आरक्षित न हों. नोडल एजेन्सी द्वारा आवश्यकतानुसार संबंधित विभाग से सहमति/अनापत्ति ली जायेगी.

3. **आवेदन एवं प्रोसेसिंग शुल्क**

उद्यमी/उद्यमी इकाई से नोडल एजेन्सी द्वारा परियोजना हेतु आवेदन शुल्क रुपये 5 प्रति किलोवॉट या रुपये 10,000 इसमें से जो भी अधिक हो, लिया जायेगा, जो वापस नहीं किया जाएगा.

आवेदन शुल्क के अलावा उद्यमी/उद्यमी इकाई से नोडल एजेन्सी द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क रुपये 25 प्रति कि. वा. अथवा रुपये 25,000 जो भी अधिक हो, भी लिया जायेगा जो परियोजना के आवंटित न होने पर वापिस दिया जाएगा.

4. **पात्रता की शर्तें एवं आवंटन के आधार**

नोडल एजेंसी द्वारा आवंटन के आधार निम्नानुसार होंगे :—

4.1 आवेदक भारतीय नागरिक हो. कम्पनी होने की दशा में इकाई भारत में पंजीकृत होनी चाहिए.

4.2 आवेदक/आवेदक कम्पनी को इस कार्य का पूर्व अनुभव होना चाहिये व तकनीकी दृष्टि से सक्षम होना चाहिये तथा आवेदक/आवेदक कम्पनी आर्थिक दृष्टि से सक्षम (Viable) होनी चाहिए.

4.3 यदि आवेदक/आवेदक कम्पनी द्वारा परियोजना का लाभ अविद्युतीकृत ग्रामों को दिया जाता है और इस हेतु विद्युत व्हीलिंग के लिये व्यवस्था भी परियोजना का एक अंग हो तो ऐसी आवेदक/आवेदक कम्पनी को प्राथमिकता दी जाएगी.

4.4 एजेन्सी द्वारा निविदा से बुलाए स्थान के लिये एक से अधिक पात्र इकाइयों के आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में आवंटन पैरा-4.3. एवं 4.4 के आधार पर बनाई गई मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जायेगा.

4.5 आवेदक/आवेदक कम्पनी द्वारा स्वेच्छा से चयनित एक ही स्थान हेतु एक से अधिक पात्र आवेदन प्राप्त होने पर आवंटन "पहले आओ पहले पाओ" नीति पर आधारित होगा.

5. **विद्युत व्हीलिंग**

उद्यमी द्वारा परियोजना स्थान पर उत्पादित विद्युत का स्व-उपभोग (कैप्टिव कंजम्प्शन) हेतु प्रदेश में कहीं भी अन्यत्र स्थित थर्ड पार्टी अथवा सिस्टर कन्सर्न इकाई को छ. रा. वि. मण्डल के ग्रिड से व्हील किया जा सकेगा. विद्युत व्हीलिंग शुल्क का निर्धारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा. यदि उपभोक्ता की इकाई किसी अन्य राज्य में हो तो दोनों राज्य विद्युत मण्डलों द्वारा व्हीलिंग की दर नियमानुसार निर्धारित की जायेगी.

6. **अतिशेष विद्युत का विद्युत मण्डल को विक्रय**

उद्यमी द्वारा प्रतिमाह उत्पादित विद्युत में से स्वयं के उपभोग (कैप्टिव कंजम्प्शन) तथा किसी अन्य नामित इकाई (थर्ड पार्टी) को वास्तविक विक्रय के उपरान्त अतिशेष विद्युत का क्रय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा रुपये 2.25 प्रति यूनिट की दर पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा. क्रय की दर में परिवर्तन शासन द्वारा समय-समय पर किया जा सकेगा.

7. **ग्रिड इंटरफेसिंग/पारेषण (ट्रांसमिशन) लाइन के व्यय का वहन**

ग्रिड इन्टरफेसिंग के लिये आवश्यक पारेषण लाइन की दो किलोमीटर तक की दूरी का स्थापना व्यय उद्यमी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इससे अधिक दूरी की स्थापना का व्यय उद्यमी तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा समानुपात में (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा अधिकतम 5 कि.मी. तक) किया जायेगा, परन्तु कार्य स्थल पर सब-स्टेशन के लिये आवश्यक संयंत्र तथा अन्य व्यय उद्यमी द्वारा ही वहन किया जायेगा. पारेषण लाइन की स्थापना उपरोक्तानुसार उद्यमी के व्यय पर विद्युत मण्डल द्वारा ही की जायेगी.

8. **जल रायल्टी**

जल रायल्टी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार देय होगी.

9. विद्युत शुल्क

ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 38, दिनांक 8-4-2002 द्वारा घोषित ऊर्जा नीति के अनुसार लघु जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत पर प्रथम पांच वर्ष तक विद्युत शुल्क देय नहीं होगा.

10. भूमि आवंटन

परियोजना हेतु आवश्यक भूमि का आवंटन छत्तीसगढ़ औद्योगिक विनिवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002 में प्रावधानित जिला/संभाग/राज्य स्तरीय समिति/बोर्ड द्वारा किया जाएगा.

11. परियोजना क्रियान्वयन हेतु समय-सीमा

11.1 उद्यमी के द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी. पी. आर.) की स्वीकृति के अधिकतम तीन वर्ष की अवधि में परियोजना का क्रियान्वयन आवश्यक होगा.

11.2 कार्य के विभिन्न चरणों की समय-सीमायें क्रेडा द्वारा डी.पी.आर. की स्वीकृति के समय निर्धारित की जायेंगी.

11.3 विभिन्न चरणों हेतु निर्धारित समय-सीमा अनुसार प्रगति नहीं होने अथवा तीन वर्ष की अवधि में उत्पादन प्रारंभ नहीं होने की दशा में उद्यमी को दी गई अनुमति क्रेडा द्वारा निरस्त की जा सकेगी. अपरिहार्य कारणों से परियोजना का क्रियान्वयन पूर्ण नहीं होने पर समयावधि में क्रेडा द्वारा वृद्धि भी की जा सकेगी.

12. आवंटन का स्थानान्तरण

आवंटी द्वारा अन्य किसी व्यक्ति को कार्य स्थल स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा. यदि आवंटी एक कम्पनी है तो वास्तविक प्रमोटर इक्विटी अंश का वास्तविक हिस्सा अहस्तांतरित रखेगा. संयंत्र स्थापित होने के उपरान्त नोडल एजेन्सी की स्वीकृति के बाद ही किसी अन्य को स्थानान्तरित किया जा सकेगा.

13. अन्तर्विभागीय समन्वय हेतु समिति

लघु जल विद्युत परियोजनाओं हेतु शासन के विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली सहमतियों/अनापत्तियों तथा अन्तर्विभागीय समन्वय का कार्य छत्तीसगढ़ औद्योगिक विनिवेश अधिनियम, 2002 में प्रावधानित जिला/संभाग/राज्य स्तरीय समिति/बोर्ड द्वारा किया जायेगा.

14. ये नीति-निर्देश राजपत्र में प्रकशन की तिथि से पांच साल तक प्रभावी रहेंगे.

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2002

विषय :—छत्तीसगढ़ राज्य में केप्टिव पॉवर प्लांट की स्थापना हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश में संशोधन.

क्रमांक 3286/स./ऊ. वि./2002.—छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 2714/स./ऊ.वि./2002 रायपुर दिनांक 12 जुलाई 2002 में बिन्दु क्रमांक 12, जो 'केप्टिव पॉवर प्लांट से उत्पादित विद्युत पर उपकर' लागू करने के संबंध में है, को विलोपित किया जाता है.

यह अधिसूचना 12 जुलाई 2002 से प्रभावशील होगी.

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2002

विषय :— छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष व सदस्य/सदस्यों की सेवा शर्तों में संशोधन.

क्रमांक 3452/स./ऊ.वि./2002.—छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष व सदस्य/सदस्यों की सेवा शर्तों के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन,ऊर्जा विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 1114/स./ऊ.वि./2002 रायपुर, दिनांक 19-3-2002 में 1 (अ) के अंतर्गत अध्यक्ष व सदस्य को देय वेतन के प्रावधानों को विलोपित कर उसके स्थान पर निम्न प्रावधान अधिसूचित किया जाता है :—

प्रावधान 1 (अ) अध्यक्ष व सदस्य का वेतन :—

अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वेतन राज्य शासन के प्रमुख सचिव/सचिव (अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के पूर्व के वेतन के आधार पर) के वेतनमान के अनुरूप होगा.

सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वेतन राज्य शासन के सचिव स्तर के वेतनमान के अनुरूप होगा.

यदि अध्यक्ष/सदस्य पूर्व में भारत सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो एवं पूर्व सेवा के लिये पेंशन प्राप्त कर रहा हो तो उन्हें अंतिम वेतन से पेंशन की राशि कम कर अथवा अध्यक्ष/सदस्य के वेतनमान से पेंशन की राशि कम करते हुए उनमें से जो भी अधिक हो वेतन निर्धारित किया जायेगा.

2. उक्त अधिसूचना दिनांक 19-3-2002 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे.

3. यह अधिसूचना पूर्व में जारी अधिसूचना के दिनांक से प्रभावशील मानी जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2002

क्रमांक 148/44/ऊर्जा.वि./2002.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 2067/243/ऊर्जा/2001 दिनांक 14-9-2001 तथा आदेश क्रमांक 187/243/ऊर्जा/2001 दिनांक 22-9-2001 द्वारा श्री शरत चन्द्र को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में सदस्य (पारेषण एवं वितरण) के रूप में एक वर्ष की अवधि हेतु संविदा नियुक्ति प्रदान की गई थी, यह अवधि दिनांक 13-9-2002 को समाप्त होने फलस्वरूप राज्य शासन एतद्द्वारा श्री शरत चन्द्र को 6 माह की अवधि हेतु सदस्य (पारेषण एवं वितरण) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, के पद पर पुन: संविदा नियुक्ति प्रदान करता है.

2. सेवा शर्तें यथावत पूर्ववत रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. ध्रुव, संयुक्त सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2002

क्रमांक 3287/2925/2002/17.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.

(2) यह नवम्बर 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थीं, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जायें. उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुये समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर "छत्तीसगढ़" स्थापित किये जायें.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कोई भी बात या की गयी कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुये) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1987.
2.	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भरती नियम 1987.
3.	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1988.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2002

क्रमांक 3288/2925/2002/17.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3287/2925/2002/17 दिनांक 24-8-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह, उप-सचिव.

Raipur, the 24th August 2002

No. 3287/2925/2002/17.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby, makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (1) This order may be called the Adaptation of Laws Order, 2002.

   (2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November 2000.

2. The Laws, as amended from time to time specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of the Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in the Laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, certificate or license) in exercise of the powers conferred by or under the Laws specified in the schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S.No. (1)	Name of the Law. (2)
1.	The Madhya Pradesh Medical Education (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1987.
2.	The Madhya Pradesh Public Health (Indian System of Medicine and Homoeopathy) (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1987.
3.	The Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1988.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRAMOD SINGH, Deputy Secretary.

समाज कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2002

क्रमांक/स.क./सु.से./2002/1064.—राज्य शासन द्वारा किशोर न्याय (बालको की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) के अंतर्गत विभागीय आदेश क्रमांक/स.क./सु.से./2002/2280, दिनांक 26-7-2002 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष के पद पर डॉ. एस. सी. मजूमदार, आई.ए.एस. सेवानिवृत्त प्रमुख सचिव को अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. अग्रवाल, विशेष सचिव.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ 73/105/उशि/02.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "दी आई सी एफ ए आई यूनिवर्सिटी रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

2. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छ. ग.) में होगा.

3. राज्य शासन एतद्द्वारा "दी आई सी एफ ए आई यूनिवर्सिटी रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की मान्यता या अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियम के अंतर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 27th September 2002

No. F-73/105/HE/02.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as " THE ICFAI UNIVERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

2. The Head Office of the University shall be at Raipur (C. G.).

3. The State Government, hereby, authorises "THE ICFAI UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognised or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. P. TRIVEDI, Secretary.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2002

क्रमांक 2071/1138/2002/11/वा.उ.—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन मे. हंसदेव ताप विद्युत गृह छ. ग. विद्युत मण्डल, कोरबा के बायलर क्रमांक एम. पी./3657 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 17-7-2002 से दिनांक 16-8-2002 तक के लिए 1 माह की छूट देता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) मध्यप्रदेश बॉयलर निरीक्षण नियम 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2002

क्रमांक 2097/1179/2002/11/वा.उ.—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन मे. छ. ग. राज्य विद्युत मण्डल, कोरबा (पूर्व) के बॉयलर क्रमांक एम. पी./4297 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 16-7-2002 से दिनांक 31-8-2002 तक के लिए 1 1/2 माह की छूट देता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) मध्यप्रदेश बॉयलर निरीक्षण नियम 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2002

क्रमांक 2215/1239/2002/11/वा.उ.—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन मे. कोरबा सुपर थर्मलपावर स्टेशन, कोरबा के बॉयलर क्रमांक एम. पी./3748 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 30-7-2002 से दिनांक 28-9-2002 तक के लिए छूट देता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) मध्यप्रदेश बॉयलर निरीक्षण नियम 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, संयुक्त सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2002

क्रमांक 5612/डी-2034/21-ब (छग)/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड-एक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, निम्नलिखित मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारियों को आगामी आदेश होने तक तदर्थ पदोन्नति देकर फास्ट ट्रेक कोर्ट में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं. उक्त नियुक्ति पूर्णत: तदर्थ रूप से रहेगी :—

(1) श्री भुवनेश्वर राम प्रधान,
(2) श्री खागेन्द्र सिंह,
(3) श्री अशोक कुमार पोतदार,
(4) श्री तुलाराम चुरेन्द्र,
(5) श्रीमती रजनी दुबे,
(6) श्री नीलम चन्दशंखला,
(7) श्री नरेश कुमार चन्द्रवंशी,
(8) श्री रविशंकर शर्मा,
(9) श्री विजयेन्द्रनाथ पाण्डे,
(10) श्री विनय कुमार तिवारी,
(11) श्री दीपक कुमार तिवारी,

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, प्रभारी प्रमुख सचिव.

रायपुर दिनांक 28 अगस्त 2002

शुद्धी-पत्र

क्रमांक 5682/डी-/छ.ग./21-ब/02.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 5612/डी-2034/21-ब/छ.ग./2002 दिनांक 23-8-2002 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त आदेश के बिन्दु क्रमांक (10) पर अंकित नाम "श्री विनय कुमार तिवारी" के स्थान पर नाम "श्री विनय कुमार कश्यप" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. बाजपेयी, उप-

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2002

क्रमांक 6003/1531/2002/21-ब.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्रमांक 15 सन् 1872) की धारा 6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर आफ रिलीजन) पास्टर व्ही. एन. भेलवा, चर्च आफ जीसस क्राईस्ट, तारबहार, बिलासपुर को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय ईसाईयों के बीच :—

(1) विवाह अनुष्ठापित कराने, और

(2) भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के संपूर्ण जिलों के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

Raipur, the 16th September 2002

No. 6003/1531/2002/21-B.—In exercise of the powers conferred by Section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. 15 of 1872), the State Government are pleased to grant license to the Minister of Religion Paster V. N. Bhelwa, Church of Jesus Christ, Tarbahar, Bilaspur for the whole State of Chhattisgarh.

(1) The solemnise marriages, and

(2) To grant certifies of marriage between the Indian Christians.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराधा खरे, उप-सचिव.

गृह (परिवहन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2002

क्रमांक F 1-3/दो/परिवहन/2002/8.—राज्य शासन एतद्द्वारा विधि एवं विधायी विभाग के आदेश क्रमांक फ./3 (ए)/4/2002/21-ब दिनांक 3-9-2002 द्वारा श्री आर. के. बेहार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की सेवाएं गृह (परिवहन) विभाग को सौंपने के फलस्वरूप श्री आर. के. बेहार सदस्य उच्च न्यायिक सेवा को राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण छत्तीसगढ़ रायपुर का पीठासीन अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, अपर मुख्य सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मई 2002

क्रमांक 9246/गृह/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से भेद करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा—

1. नीचे दी गई सारणी के कॉलम नं. (2) में दर्शित पुलिस थानों से उक्त सारणी के कॉलम नं. (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करता है, और

2. यह निर्देश देता है कि उक्त सारणी के कॉलम (4) में उल्लेखित किया गया स्थान क्षेत्र उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंध प्रविष्टि में सम्मिलित किया जाय.

सारणी

क्र.	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से शामिल किया जाना है	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं. बंदोबस्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना चांपा तह. व जिला., जांजगीर-चांपा.	चौकी उरगा, थाना कोरबा तह. व जिला, कोरबा.	1. बगदरा	6
			2. फुलझर	6
			3. दर्राभाठा	6
			4. छुईया	8
			5. नवापारा	6
			6. सुखरीकला	7
			7. सराईपाली	6
			8. टोन्डा	8
			9. ठिठोरा	8
			10. देवलापाट	6
			11. फरसवानी	6
			12. रींवापार	6
			13. उमरेली	7
			14. अमलडीहा	7
			15. सुखरीखुर्द	7
			16. कर्रापाली	8
			17. लिमगांव	8

रायपुर, दिनांक 21 मई 2002

क्रमांक 9252/गृह/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से भेद करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा शासन आदेश क्रमांक एफ-3/38/गृह/2001, दिनांक 14-8-2001 जारी दिनांक से—

1. नीचे दी गई सारणी के कॉलम नं. (2) में वर्णित पुलिस थानों से उक्त सारणी के कॉलम नं. (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करता है, और

2. यह निर्देश देता है कि उक्त सारणी के कॉलम (4) में उल्लेखित किया गया स्थान क्षेत्र उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंध प्रविष्टि में सम्मिलित किया जाय.

सारणी

क्र.	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से शामिल किया जाना है	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं. बंदोबस्त क्र.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना अंबिकापुर तहसील व जिला सरगुजा	थाना अंबिकापुर देहात तहसील व जिला सरगुजा.	1. बलसेड़ी	1
			2. खलिया	2
			3. चठिरमा	3
			4. मेण्ड्रा खुर्द	4
			5. लोटा बहरा	6
			6. डिगमा	7
			7. भगवानपुर	8
			8. फुदड़िहारी (गांधीनगर)	9
			9. नमनाकला	10
			10. केशवपुर	12
			11. हर्राटिकरा	13
			12. गंगापुर खुर्द	14
			13. आमगांव	16
			14. डूमरपारा	20
			15. घोर	21
			16. लब्जी	22
			17. कालापारा	37
			18. कुल्हाडी	48
			19. मंजीरा	62
			20. कल्याणपुर	105
			21. पोडिया	116
			22. रामेश्वरपुर	144
			23. छतरपुर	145
			24. सरगंवा	157
			25. सकालो	158
			26. नर्मदापारा	159
			27. चिखलाडीह	160
			28. धंधरी	161
			29. रूपपुर	162
			30. अखोरा	166
			31. ठाकुरपुर	168
			32. बकिरमा	227
			33. विशुनपुरकला	257
			34. धनगवा	261
			35. सोनपुरखुर्द	303
			36. रनपुर कला	315

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			37. सपना	352
			38. सुखरी	370
			39. बिसुनपुर खुर्द	11

रायपुर, दिनांक 21 मई 2002

क्रमांक 9254/गृह/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से भेद करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा शासन आदेश क्रमांक एफ-3/38/गृह/2001, दिनांक 14-8-2001 जारी दिनांक से—

1. नीचे दी गई सारणी के कॉलम नं. (2) में वर्णित पुलिस थानों से उक्त सारणी के कॉलम नं. (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करता है, और

2. यह निर्देश देता है कि उक्त सारणी के कॉलम (4) में उल्लेखित किया गया स्थान क्षेत्र उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंध प्रविष्टि में सम्मिलित किया जाय.

सारणी

क्र.	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से शामिल किया जाना है	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना सिविल लाइन तहसील जिला रायपुर.	थाना तेलीबांधा तहसील व जिला रायपुर.	1. तेलीबांधा	28
			2. मालीपारा	28
			3. काशीरामनगर	33
			4. लामाण्डी	113
			5. पुरैना	113
			6. अमलीडीह	114
			7. आनंदनगर	28
			8. जोरा	112
			9. श्यामनगर	32
			10. फुडहर	114
			11. महावीर नगर	113
			12. बसंत बिहार	113
			13. अवन्ति बिहार	28
			14. कृषि महाविद्यालय	113
			15. विजय नगर	113

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	थाना मंदिर हसौद तहसील व जिला रायपुर.		16. छेरीखेडी	112
3.	थाना माना तहसील व जिला रायपुर.		17. टेमरी	115
			18. धरमपुरा	115

रायपुर, दिनांक 21 मई 2002

क्रमांक 9256/गृह/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से भेद करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा शासन आदेश क्रमांक एफ-3/38/गृह/2001 दिनांक 14-8-2001 जारी दिनांक से—

1. नीचे दी गई सारणी के कॉलम नं. (2) में वर्णित पुलिस थानों से उक्त सारणी के कॉलम नं. (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करता है, और

2. यह निर्देश देता है कि उक्त सारणी के कॉलम (4) में उल्लेखित किया गया स्थान क्षेत्र उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंध प्रविष्टि में सम्मिलित किया जाय.

सारणी

क्र.	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से शामिल किया जाना है	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना कुनकुरी तहसील कुनकुरी जिला जशपुरनगर (छ. ग.).	चौकी दुलदुला थाना कुनकुरी तहसील कुनकुरी जिला जशपुरनगर.	1. दुलदुला	21
			2. विपतपुर	19
			3. बनगांव	20
			4. सिमडा	22
			5. मयरूबूंदी	22
			6. जामचुआ	22
			7. चटकपुर	21
			8. खुटीटोली	21
			9. डडाडही	21
			10. पतराटोली	16
			11. छेरडांड	16
			12. लोरी	16
			13. खूटीटोली (लारा)	16
			14. बम्हनी	15
			15. खंटगा	15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			16. मुराडीटोली	15
			17. संपधारा	20
			18. कांटासारू	20
			19. घुटघुटी	20
			20. जागझरिया	20
			21. डाडपानी	20
			22. पगुराटागर	19
			23. कोरना	19
			24. गांगीमूण्डा	19
			25. रायडीह	18
			26. गीधासाड	18
			27. घूमाडाड	16
			28. घाघअम्बा	22
			29. फोटकोसगर	22
			30. बंगुरकेला	20
			31. वासुदेवपुर	15
			32. बरपानी	20
			33. बुकना	वन ग्राम
			34. बाडोछापर	16
			35. श्रीटोली	16
			36. सिमरिकेला	21
			37. साजापानी	22
			38. टांगरटोली	19

रायपुर, दिनांक 21 मई 2002

क्रमांक 9258/गृह/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से भेद करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा शासन आदेश क्रमांक एफ-3/38/गृह/2001, दिनांक 14-8-2001 जारी दिनांक से—

1. नीचे दी गई सारणी के कॉलम नं. (2) में वर्णित पुलिस थानों से उक्त सारणी के कॉलम नं. (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करता है; और

2. यह निर्देश देता है कि उक्त सारणी के कॉलम (4) में उल्लेखित किया गया स्थान क्षेत्र उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंध प्रविष्टि में सम्मिलित किया जाय.

सारणी

क्र.	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से शामिल किया जाना है	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अ-थाना बरमकेला तह. सारंगढ़ जिला रायगढ़.	पुलिस चौकी डोंगरीपाली तहसील सारंगढ़ जिला रायगढ़.	1. डोंगरीपाली	50
			2. दमदमा	50

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3. दुलोपाली	50
			4. पुरेनपाली	50
			5. विष्णुपाली	50
			6. मुगियाडीह	50
			7. सोनवला	50
			8. गिंडोला	50
			9. घोघरा	50
			10. लेन्धरा	50
			11. कस्तुरामाल	50
			12. कोकबहाल	50
			13. झिकीपाली	50
			14. कदली सरार	51
			15. खैरट	51
			16. भौरडीह	51
			17. डुमरपाली	51
			18. परसकोल	51
			19. परधियापाली	51
			20. बेहराबहाल	51
			21. मराली	51
			22. भालूपाली	51
			23. रंगाडीह	51
			24. सहजबहाल	51
			25. सीहोर	51
			26. बिरनीपाली	51
			27. अकबरटोला	48
			28. अगलीपाली	48
			29. कर्रामाल	48
			30. कमलापानी	48
			31. करपी	48
			32. केरकेली	48
			33. छिंदछोरा	48
			34. खम्हरिया	48
			35. जगदीशपुर	48
			36. डिडाडीहबिसन	48
			37. महुवापाली	48
			38. मजूरपाली	48
			39. हट्टापाली	48
			40. आमापाली	48
			41. कालाखुटा	48
			42. छैलमांठा	48
			43. जामदलखा	48

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			44. परधियापाली	48
			45. जोगनीपाली	48
			46. ढोसरबहार	48
			47. तरेकेला	48
			48. वनहर	48
			49. सराईपाली अधरिया	48
			50. जीरापाली	48
			51. झाल	48
			52. पतेरापाली	48
			53. बनवासपाली	48
			54. लीमपाली	48
			55. सेमरापाली	48

रायपुर, दिनांक 21 मई 2002

क्रमांक 9260/गृह/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से भेद करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा शासन आदेश क्रमांक एफ-3/38/गृह/2001, दिनांक 14-8-2001 जारी दिनांक से—

1. नीचे दी गई सारणी के कॉलम नं. (2) में वर्णित पुलिस थानों से उक्त सारणी के कॉलम नं. (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लेखित किए गए स्थानीय थानों को अपवर्जित करता है, और

2. यह निर्देश देता है कि उक्त सारणी के अंतर्गत (1) में उल्लेखित किया गया स्थान क्षेत्र उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंध प्रविष्टि में सम्मिलित किया जाय.

सारणी

क्र.	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया.	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से शामिल किया जाना है.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2. रायगढ़ (अ) थाना कोतवाली तह. व रायगढ़.	थाना कोतरारोड तहसील व जिला रायगढ़.	1. कोतरा,	9
			2. धनागर	11
			3. जामपाली	3
			4. उसरौट	9
			5. डूमरपाली	3
			6. देवरी	4
			7. लेवड़ा	4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			8. बनहर	3
			9. चारभांठा	4
			10. तारापुर	9
			11. बीकरामुडा	8
			12. वरपाली	8
			13. नंदेली	5
			14. सरडांगाल	5
			15. रानीगुडा	5
			16. कुरापुरा	3
			17. केनापाली	11
			18. जोरापाली	11
			19. बालमगोडा	9
			20. कोरामनारा	11
			21. कमली	14
			22. पतरापाली	14
			23. चिराईपानी	14
			24. परसदा	2
			25. केराझर	1
			26. कुशवाबहरी	1
			27. गढ़कुर्री	1
			28. डोंगीराई	1
			29. पंडरीपानी	1
			30. काशीचुंवा	1
			31. उच्चभिठ्ठी	2
			32. किरोडीमल नगर	2
			33. कोकडी तराई	2
			34. कोमसपाली	2
			35. खैरपुर	14
			36. कृष्णापुर	14
			37. सराईपाली	14
			38. रामपुर	2
			39. डोंगाढकेला	1
			40. मुरारीपाली	2
			41. भगवानपुर	14
			42. गोरखा	14
			43. टीपाखोल	14
			44. मेजामुडा	2
			45. कोडतराई	2
			46. बरमुड़ा	14
			47. टेका	26
			48. महुआपाली	8
			49. बंधनपुर	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	"ब" थाना खरसिया तहसील खरसिया	थाना कोतरारोड तहसील व जिला रायगढ़.	50. बेसपाली	6
			51. नावापरा	6
			52. सरवानी	8
			53. कुलबा	7
			54. अरसीपाली	6
			55. लिटाईपाली	6
			56. पंचझर	5
			57. बायंक	5
	"स" थाना पुसौर तहसील व जिला रायगढ़.	थाना कोतरारोड तहसील व जिला रायगढ़.	58. सहसपुरी	7
			59. कुलबा	7
			60. कांटाहरदी	7
			61. बसंतपुर	7
			62. नावागांव	7
			63. नवरंगपुर	8
			64. दुलोपुर	8
			65. औराभांठा	9
			66. जामपाली	26
			67. कुरमापाली	9
			68. ठाकुरपाली	9
			69. गौर्रा	26
			70. बछेड़ा	26
			71. कौवाताल	26
			72. अमलडीह	27

रायपुर, दिनांक 21 मई 2002

क्रमांक 9262/गृह/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से भेद करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा शासन आदेश क्रमांक एफ-3/38/गृह/2001 दिनांक 14-8-2001 जारी दिनांक से—

1. नीचे दी गई सारणी के कॉलम नं. (2) में वर्णित पुलिस थानों से उक्त सारणी के कॉलम नं. (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करता है, और

2. यह निर्देश देता है कि उक्त सारणी के कॉलम (4) में उल्लेखित किया गया स्थान क्षेत्र उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंध प्रविष्टि में सम्मिलित किया जाय.

सारणी

क्र.	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया.	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से शामिल किया जाना है	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना पेण्ड्रा तहसील पेण्ड्रारोड जिला बिलासपुर.	पुलिस चौकी कोटमीकला थाना पेण्ड्रारोड जिला बिलासपुर.	1. कोटमीकला	30
			2. दमदम	30
			3. कैशला	30
			4. गोढ़ा	30
			5. चंद्रवटी	8
			6. सकोला	30
			7. शेखवा	16
			8. कंचनडीह	30
			9. देवरी कला	30
			10. देवरी खुर्द	30
			11. तिलोरा	30
			12. पंडरीपानी	8
			13. बहरीझोरनी	30
2.	थाना मरवाही तहसील पेण्ड्रारोड जिला बिलासपुर.	पुलिस चौकी कोटमीकला थाना पेण्ड्रारोड जिला बिलासपुर.	1. मड़ई	16
			2. पथर्रा	16
			3. रूमगा	16
			4. कोलबिर्रा	16
			5. बिसेसरा	29
			6. मटियाडांड	15

रायपुर, दिनांक 21 मई 2002

क्रमांक 9264/गृह/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से भेद करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा शासन आदेश क्रमांक एफ-3/38/गृह/2001 दिनांक 14-8-2001 जारी दिनांक से—

1. नीचे दी गई सारणी के कॉलम नं. (2) में वर्णित पुलिस थानों से उक्त सारणी के कॉलम नं. (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करता है, और

2. यह निर्देश देता है कि उक्त सारणी के कॉलम (4) में उल्लेखित किया गया स्थान क्षेत्र उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंध प्रविष्टि में सम्मिलित किया जाय.

सारणी

क्र.	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से शामिल किया जाना है	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना दुर्गकोंदल तहसील भानुप्रतापपुर जिला कांकेर.	नवीन थाना कोडेकुर्सी तहसील भानुप्रतापपुर जिला कांकेर.	1. कोडेकुर्सी	9
			2. साधुमिचगांव	14
			3. हामलवाही	10
			4. गोडपाल	8
			5. ओटेकसा	8
			6. लोहत्तर	4
			7. ओडादूर	14
			8. सुरूगदोह	14
			9. आयेगाड़ा	14
			10. एनहूर	9
			11. गुमडीडीह	11
			12 कोण्डे	10
			13. खेरेगदका	10
			14. दोदेकाकाढर	10
			15. हडफड	10
			16. करकापाल	9
			17. चाऊरगांव	8
			18. तोडका एनहूर	11
			19. कराकी	8
			20. कोडरूज	7
			21. जोडेकुर्सी	7
			22. तुमरीसूर	7
			23. भुरके	8
			24. गुरदाटोला	8
			25. गुरवंडी	10
			26. कोसपराली	10
			27. गुडफेल	4
			28. जुई	11
			29. सराधूमरे	11
			30. उडईखेड़ा	7
			31. गुदुम	7
			32. मित्रगांव	14
			33. हुलवाट	11
			34. गुमडी	7
			35. बेल्दो	7
			36. पिरचौड	4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			37. मोहगांव	4
			38. मंगहूर	10
			39. मेटाधमरे	11
			40. चिखली	10
			41. सोनाखई	1
			42. मुसकी	14
			43. दनगढ़-1	11
			44. दनगढ़-2	11
			45. पालहर	9
			46. पुडोमिचगांव	14
			47. खेडेगांव	10
			48. गुडवा	14
			49. मेरेगांव	7
			50 मेजर	7
			51. भेलवापानी	7
			52. परमेली	7
			53. फितेफुलचुर	7
			54. धनवरफुलचुर	7
			55. हेपुरकसा	4
			56. शीतलपुर	7
			57. शीलपट	4
			58. उईकाटोला	8
			59. नेलबोग	9
			60. पालनी	10
			61. मरेटीटोला	10
			62. सानपाल	10
			63. खेडेगांव	10
			64. बडपराली	10
			65. पंचामी	11
			66. निरोडाडीह	11
			67. लाटमारका	11

रायपुर, दिनांक 7 जून 2002

क्रमांक 9680/गृह/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से भेद करते हुए—

1. नीचे दी गई सारणी के कॉलम नं. (2) में वर्णित पुलिस थानों से उक्त सारणी के कॉलम नं. (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करता है, और

2. यह निर्देश देता है कि उक्त सारणी के कॉलम (4) में उल्लेखित किया गया स्थान क्षेत्र उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंध प्रविष्टि में सम्मिलित किया जाय.

सारणी

क्र.	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें शामिल किया गया है	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना रावघाट जिला कांकेर.	थाना नारायणपुर जिला जगदलपुर.	1. मातला	वन ग्राम
			2. भरण्डा	वन ग्राम
			3. खोडगांव	6
			4. परलभाट	6
2.	थाना पंखान्जुर जिला कांकर.	थाना नारायणपुर जिला जगदलपुर.	1. राजामुण्डा	
			2. बीनामुण्डा	
			3. कोगे	
			4. घांगुड	
			5. ठाकुरहर	
			6. कोड़ोसी	
			7. रानीभरका	
			8. फरसकोड़ा	
			9. मरकाबेड़ा	
			10. बरकोर	
			11. काकनार	
			12. दुबेदण्ड	
			13. मगवाड़ा	
			14. फारेदी	
			15. ओरछापाड़	
			16. पालेबेड़ा	
			17. धमण्डी	
			18. अलवरवास	
			19. कंगोली	
			20. तहकादण्ड	
			21. बाड़ापैदा	
			22. कादेर	
			23. गुडरापारा	
			24. मसपुर	
			25. टोरोबेड़ा	
			26. होरादी	
			27. गारपा	
			28. तुमीरादी	

रायपुर, दिनांक 12 जून 2002

क्रमांक 9724/गृह/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से भेद करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा जनसुविधा एवं प्रशासकीय दृष्टिकोण से—

1. नीचे दी गई सारणी के कॉलम नं. (2) में वर्णित पुलिस थानों को उक्त सारणी के कॉलम नं. (4) की तत्संबंध प्रविष्टि में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करता है, और

2. यह निर्देश देता है कि उक्त सारणी के कॉलम (4) में उल्लेखित किया गया स्थान क्षेत्र उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंध प्रविष्टि में सम्मिलित किया जाय.

सारणी

क्र.	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से शामिल किया जाना है	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना पंडरिया तह. पंडरिया जिला कवर्धा.	थाना मुंगेली जिला बिलासपुर.	1. आछी डोगरी	2
			2. खापरीकला	10
			3. चिलफी	10
			4. नवरंगपुर	2
			5. नथेला पारा	10
			6. फुलझर	9
			7. बोडंतरा कला	9
			8. बैजलपुर	10
			9. राम्हेपुर कला	2
			10. लीलापुर	2
			11. खोखतरा	10
			12. मुछेल	8
			13. डिंडोरी	2
			14. खौरा	2
			15. जोतपुर	8
			16. धरमपुर	9
			17. पथर्रा	9
			18. फुलवारी	9
			19. रैतरा	9
			20. हरदी	9
			21. गोल्हापारा	10
			22. घाटापानी	9
			23. गातापारा	8
			24. छितापार	8
			25. इलचपुर	8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			26. कल्हानार	2
			27. खपरी खुर्द	9
			28. खेरवा खुर्द	10
			29. गेलूगांव	8
			30. चकला	8
			31. पीथमपुर	2
			32. दाडीपारा	10
			33. डुमहरा	10
			34. दाऊकापा	8
			35. रजपालपुर	8
			36. परदेसी कापा	10
			37. भस्करा	2
			38. मैथापारा	10
			39. रगियापारा	10
			40. लाखापुरी	9
			41. सहसपुर	10
			42. सैनगुढा	9
			43. सिलतरा	8
			44. घटौली	10
			45. कुटेला टोला	
			46. फौजदार कापा	
			47. लालसाय कापा	9
2.	थाना कुण्डा तह. पंडरिया जिला कवर्धा.	थाना मुंगेली जिला बिलासपुर	1. सिपाही	2
			2. गोरखपुर	2
			3. छुडहा	11
			4. झुझारमाठा	2
			5. भूमियापारा	1
			6. मर्राडबरी	1
			7. अनन्तपुर	14
			8. कोलिहा	13
			9. केहरपुर	12
			10. कंचनपुर	13
			11. केसतरा	14
			12. सारंगपुर	1
			13. सिलही	11
			14. सिंगारपुर	1
			15. लालपुर	12
			16. तालम	11
			17. लछनपुर	11
			18. उदका	11
			19. बल्दी	13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			20. पण्डोरता	1
			21. बांदा	2
			22. हरिहरपुर	11
			23. मिकतरा	11
			24. सिंधनपुरी	13
			25. चुचरूंगपुर	12
			26. चमारी	2
			27. चिरोंजपुर	13
			28. झिटकन्हैया	12
			29. ठाकुरकापा	11
			30. ठेंगा	13
			31. तुमडी	13
			32. तरवरपुर	11
			33. दुल्हापुर	1
			34. डामापुर	3
			35. नागोपहरी	12
			36. नवागांव फैत	11
			37. नवागांव मुसरू	11
			38. पगडीखुर	1
			39. परसवारा	2
			40. फागुपारा	14
			41. बोधीपारा	14
			42. बेहरसरी	11
			43. बेहाकापा	11
			44. भीमपुरी	12
			45. मुडपारा	13
			46. मानपुर	12
			47. रमईपुर	2
			48. रजपालपुर	12
			49. सनकपाट	12
			50. सोनपुरी	12
			51. सेनगांव (वीरान)	14
			52. मानपुर (वीरान)	2
			53. चांपतरा	13
			54. भगतपुर (वीरान)	14
			55. खडूहा (वीरान)	8
			56. खेरा सेतगंगा	1
			57. छटना	2
			58. झलियापुर	13
			59. बीजातराई	1
			60. राजपुर	12
			61. बिचारपुर	13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			62. किनरीयापारा	12
			63. केशलीकला	1
			64. टेडाधोरा	14
			65. धोडा	13
			66. दुल्हापुर	14
			67. डाबो	11
			68. मदनपुर	11
			69. पौनी	13
			70. अचानकपुर	13
			71. जुनवानी	13
			72. नारायणपुर	14
			73. केशली	14
			74. कोसमतरा	
			75. लगरा	11
			76. सेमरकोना	2
			77. भाटा	11
			78. रेतराकला	11
			79. कुकरहटा	11
			80. बजमार	11
			81. बेलथरी	12
			82. गाढाधाट	2
			83. सिंधनपुरी	12
			84. नवागांव ठेलका	8
			85. साहेधौरी	11
			86. अमलीडीह	8
			87. खुंटा	
			88. भरका	
			89. डोंगरी वीरान	
			90. उसलापुर	
			91. भालापुर	

रायपुर, दिनांक 12 जून 2002

क्रमांक 9726/गृह/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से भेद करते हुए—

1. नीचे दी गई सारणी के कॉलम नं. (2) में वर्णित पुलिस थानों से उक्त सारणी के कॉलम नं. (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करता है, और

2. यह निर्देश देता है कि उक्त सारणी के कॉलम (4) में उल्लेखित किया गया स्थान क्षेत्र उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंध प्रविष्टि में सम्मिलित किया जाय.

सारणी

क्र. (1)	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया (2)	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से शामिल किया जाना है (3)	ग्राम का नाम (4)	पटवारी हल्का नं. (5)
1.	थाना मारडूम तह. व जिला दंतेवाड़ा	थाना बारसूर जिला दंतेवाड़ा	1. नेउरनार	2 रा. नि. दंतेवाड़ा
2.	थाना मारडूम तह. व जिला दंतेवाड़ा	थाना बारसूर जिला दंतेवाड़ा	1. टुण्डेर	13 रा. नि. मंडल, बीजापुर

रायपुर, दिनांक 29 जून 2002

क्रमांक 10235/गृह/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1988 (क्रमांक 5 सन् 1988) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से भेद करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा—

1. नीचे दी गई सारणी के कॉलम नं. (2) में वांछित पुलिस थानों से उक्त सारणी के कॉलम नं. (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करता है, और

2. यह निर्देश देता है कि उक्त सारणी के कॉलम (4) में उल्लेखित किया गया स्थान क्षेत्र उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंध प्रविष्टि में सम्मिलित किया जाय.

सारणी

क्र. (1)	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया (2)	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से शामिल किया जाना है (3)	ग्राम का नाम (4)	पटवारी हल्का नं. (5)
1.	थाना रतनपुर, तह. व जिला बिलासपुर	थाना पाली तहसील कटघोरा जिला कोरबा	1. सिल्ली	7
			2. परसदा	6
			3. बापापूती	6
			4. शिवपुर	6
2.	थाना पेण्ड्रा तह. पेण्ड्रा जिला बिलासपुर1	थाना पसान तह. कटघोरा जिला कोरबा	1. चंदोरी	8
			2. ढेलुवा	8
			3. सैला	8
			4. बहरी	8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			5. झोरकी	8
			6. बगधारी	8

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ-3-91/दो/गृह/02.—राज्य शासन एतद्द्वारा म. प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक 2946/2899/91/बी-3/2 दिनांक 26-9-91 के जिला दंतेवाड़ा क थाना अरनपुर को नक्सली गतिविधियों की रोकथाम हेतु ग्राम नेलसनार पुलिस जिला बीजापुर में स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. थाना अरनपुर हेतु स्वीकृत बल उप निरी.-1, सउनि-2, प्रआर-5, आर.-2 थाना नेलसनार हेतु स्वीकृत माने जायेंगे.

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ-3/91/गृह/02.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करता है—

1. नीचे दी गई सारणी के कॉलम नं. (2) में वांछित पुलिस थानों से उक्त सारणी के कॉलम नं. (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करता है, और

2. यह निर्देश देता है कि उक्त सारणी के कॉलम (4) में उल्लेखित किया गया स्थान क्षेत्र उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंध प्रविष्टि में सम्मिलित किया जाय.

सारणी

क्र.	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जहां से अपवर्जित किया जाना है.	उस पुलिस थाने का नाम जिसमें शामिल किया जाना है	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना भैरमगढ़ तह. व पुलिस जिला बीजापुर	थाना नेलसनार तह. व पुलिस जिला बीजापुर	1. नेलसनार	15
			2. बेलनार	14
			3. सतवा	15
			4. चिनगेल	14
			5. करकावाड़ा	12
			6. एहेकरी	14
			7. मेकाम	14
			8. पल्लेवाया	14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			9. दुग्गा	14
			10. पियाकोर	12
			11. कांकेरलंका	12
			12. पोचेरवाड़ा	12
			13. गोंडनेरा	12
			14. एक्समेटा	6
2.	थाना मिरतुल तह. व जिला बीजापुर	थाना नेलसनार तह. व जिला बीजापुर	15. डालापाल	15
			16. चिकलापाल	16
			17. कोकडोलो	15
			18. तातनार	16
			19. तोयनार	16
			20. बागापार	6
			21. बोदलो	6
			22. कोंडरो	6
			23. फरसमुंडा	6
			24. मुण्डेर	6

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ-3/86/दो-गृह/2002.—राज्य शासन एतद्द्वारा नक्सली गतिविधियों की रोकथाम की दृष्टि से थाना नकलपाल जिला दंतेवाड़ा को ग्राम जांगला पुलिस जिला बीजापुर में स्थानांतरित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

थाना नुकलपाल के लिये स्वीकृत पद थाना जांगला हेतु स्वीकृत माने जावेंगे.

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ-3/86/गृह/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करता है—

1. नीचे दी गई सारणी के कॉलम नं. (2) में वांछित पुलिस थानों से उक्त सारणी के कॉलम नं. (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करता है, और

2. यह निर्देश देता है कि उक्त सारणी के कॉलम (4) में उल्लेखित किया गया स्थान क्षेत्र उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंध प्रविष्टि में सम्मिलित किया जाय.

सारणी

क्र.	पुलिस थाने का नाम जहां से अपवर्जित किया जाना है	उस पुलिस थाने का नाम जिसमें शामिल किया जाना है	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना भैरमगढ़ तह. व पुलिस जिला बीजापुर.	जांगला तह. बीजापुर पुलिस जिला बीजापुर.	1. जांगला	10
			2. पेगला	8
			3. कोडोलो	8
			4. फुलोड	6
			5. जैगुर	7
			6. जैखाराम	8
			7. कोतरापार	10
			8. गदामालो	10
			9. बड़ेकोडेनार	10
			10. बडेतुगाली	10
			11. छोटेकटेनार	7
			12. माटवाड़ा	10
			13. इदरे	11
			14. आदवाड़ा	12
			15. हिंगुमा	11
			16. मडेपाल	7
			17. कर्नेमरका	9
			18. डोडम	6
			19. ईदवाड़ा	6
			20. मिनगाबल	10
			21. छोटेतुमनार	8
			22. पोडुमपाल	8
			23. बेचरम	7
			24. परमा	7
			25. टांगोपुर	14
			26. कोटमेटा	7
			27. इतुलवाड़ा	8
			28. बरदेला	10
2.	थाना बीजापुर तह. व पुलिस जिला बीजापुर.	जांगला थाना तह. व पुलिस जिला बीजापुर	29. नैमेड	25-ए
			30. कुंडनार	25-बी

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ-3/92/गृह/02.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करता है—

1. नीचे दी गई सारणी के कॉलम नं. (2) में वांछित पुलिस थानों से उक्त सारणी के कॉलम नं. (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करता है, और

2. यह निर्देश देता है कि उक्त सारणी के कॉलम (4) में उल्लेखित किया गया स्थान क्षेत्र उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंध प्रविष्टि में सम्मिलित किया जाय.

सारणी

क्र.	पुलिस थाने का नाम जहां से अपवर्जित किया जाना है	उस पुलिस थाने का नाम जिसमें शामिल किया जाना है	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना कोन्टा तह. कोंटा जिला दंतेवाड़ा.	थाना एर्राबोर तह. कोंटा जिला दंतेवाड़ा	1. एर्राबोर	48
			2. दरभागुड़ा	48
			3. मूलाकिसौली	48
			4. जग्गावरम	49
			5. मेटागुड़ा	49
			6. बंजाममुडा	49
			7. आसिरगुडा	49
			8. पैदाकिसौली	49
2.	थाना दोरनापाल तह. कोन्टा जिला दंतेवाड़ा.	थाना एर्राबोर तह. कोंटा जिला दंतेवाड़ा.	9. बिरला	46
			10. मनोकोंटा	46
			11. गगनपल्ली	46
3.	थाना भेजी तह. कोंटा जिला दंतेवाड़ा.	थाना एर्राबोर तह. कोंटा जिला दंतेवाड़ा.	12. एडगट्टा	49
			13. लेण्ड्रा	48
			14. मराईगुडा	46
			15. टेटराई	46

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2002

क्रमांक 3-92/बी/गृह/02.—राज्य शासन एतद्द्वारा मं. प्र. शासन के आदेश क्र. 2646/2899/91/बी-3/2 भोपाल दिनांक 26-9-91 से जिला दंतेवाड़ा में स्वीकृत थाना एलमागुण्डा को नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दृष्टि से ग्राम एर्राबोर जिला दंतेवाड़ा स्थानांतरित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. थाना एलमागुण्डा हेतु स्वीकृत बल उप निरी. 1, सहा. उप निरी. 2, प्रधान आरक्षक 5 तथा आरक्षक 25 थाना एर्राबोर हेतु स्वीकृत माना जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. के. एस. ठाकुर, विशेष सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2002

क्रमांक 4779 B/4205/2002/न. प्र.—राज्य शासन द्वारा श्री विशाल दास, पार्षद, नगरपालिका परिषद्, जगदलपुर के वार्ड क्रमांक-6 को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 38 के अंतर्गत पार्षद पद से निरर्हत घोषित करते हुए जगदलपुर नगरपालिका परिषद् के वार्ड क्रमांक-6 के लिये पार्षद पद की रिक्तता घोषित की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. सिन्हा, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 2 सितम्बर 2002

क्रमांक 23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	मोहरा प. ह. नं. 19	3.750	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	मोहरा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 2 सितम्बर 2002

क्रमांक 24.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	गितारी प. ह. नं. 19	1.589	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	मोहरा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 2 सितम्बर 2002

क्रमांक 25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	कोथारी प. ह. नं. 5	0.623	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	कचोरा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 2 सितम्बर 2002

क्रमांक 26.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	रींवापार प. ह. नं. 20	0.032	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	रींवापार माइनर नं.-1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 2 सितम्बर 2002

क्रमांक 27.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	चिचोली प. ह. नं. 5	0.210	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	बगदर उप-शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 18 जून 2002

रा. प्र. क्र/30/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	सोहगा	3.925	कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	घुनघुट्टा परियोजना अंतर्गत डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 जुलाई 2002

रा. प्र. क्र./31/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	नावापारा	0.038	कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	बरनाई परियोजनांतर्गत नावापारा माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 6 जुलाई 2002

रा. प्र. क्र./32/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	राजपुर	उलिया	11.717	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, अंबिकापुर.	उलिया जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2002

क्रमांक 6695/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	ढोलियाकन्हार प. ह. नं. 22	1.36	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	पिपरिया जलाशय नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2002

क्रमांक 6696/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	टेकापार प. ह. नं. 36	0.46	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	पिपरिया जलाशय नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2002

क्रमांक 6697/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	कांचरी प. ह. नं. 23	3.38	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	पिपरिया जलाशय नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2002

क्रमांक 6698/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	कातलवाही प. ह. नं. 36	0.25	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	पिपरिया जलाशय नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2002

क्रमांक 6699/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	पद्मावतीपुर प. ह. नं. 26	1.59	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	पिपरिया जलाशय नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2002

क्रमांक 6700/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	खपरीकलार प. ह. नं. 27	0.29	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	पिपरिया जलाशय नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 3 अगस्त 2002

क्रमांक 1/भू-अर्जन/अ-82/89-90/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	सालेमेटा प. ह. नं. 36	12.467	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डी.डी.पी.पी., जगदलपुर.	कोसारटेडा परि. के स्पिल चैनल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 23 अगस्त 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/1/अ-82/90-91/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	राजूर	0.161	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भवन/सड़क), जगदलपुर	मकान एवं बाड़ी निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 23 अगस्त 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/1/अ-82/91-92.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	कुम्हली	1.766	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भवन/सड़क), जगदलपुर.	बड़ांजी कुम्हली पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, बस्तर जिला (भू-अर्जन शाखा) अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 23 अगस्त 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/1/अ-82/92-93./2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	उलनार	1.667	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भवन/सड़क), जगदलपुर.	आसना बजावंड मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, बस्तर जिला (भू-अर्जन शाखा) अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 23 अगस्त 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/8/अ-82/93-94/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	खोरखोसा	0.619	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भवन/सड़क), जगदलपुर.	खोरखोसा पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, बस्तर जिला (भू-अर्जन शाखा) अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 23 अगस्त 2002

क्रमांक 18/भू-अर्जन/अ-82/93-94/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के ख़ाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	छिन्दावाड़ा	0.270	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भवन/सड़क), जगदलपुर.	आवागमन सुगम बनाने हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, बस्तर जिला (भू-अर्जन शाखा) अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 23 अगस्त 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/22/अ-82/93-94/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	मावलीपदर	0.363	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भवन/सड़क), जगदलपुर.	मावलीपदर पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, बस्तर जिला (भू-अर्जन शाखा) अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 23 अगस्त 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/23/अ-82/93-94/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	गुडरामारेंगा	0.094	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भवन/सड़क), जगदलपुर.	बड़ेमारेंगा पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, बस्तर जिला (भू-अर्जन शाखा) अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 23 अगस्त 2002

क्रमांक 1/भू-अर्जन/अ-82/94-95/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	छोटेआमाबाल	0.024	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भवन/सड़क), जगदलपुर.	बड़ेआमाबाल मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, बस्तर जिला (भू-अर्जन शाखा) अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 23 अगस्त 2002

क्रमांक 3/भू-अर्जन/अ-82/95-96/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	दुबेउमरगांव	2.755	कार्यपालन यंत्री, लोक-निर्माण विभाग, (भवन/सड़क), जगदलपुर.	बालेंगा-खोरखोसा पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, बस्तर जिला (भू-अर्जन शाखा) अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/2/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन.
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	घोटिया	2.716	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कोंडागांव.	नारायणपाल उद्वहन सिंचाई योजना की लघु नहर एवं उप लघु नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋचा शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 29 जून 2002

क्रमांक 22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-कनबेरी, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.577 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
402/8	0.121
401/1	0.032
497/2	0.045

(1)	(2)
401/2	0.032
401/3	0.020
401/4	0.032
479/1	0.032
401/5	0.032
395	0.032
391/2	0.061
391/1	0.040
392/1	0.049
392/2	0.049
योग 13	0.577

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-भलपहरी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 14 अगस्त 2002

रा.प्र.क्र. 13/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-राजपुर
(ग) नगर/ग्राम-करौली
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.096 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
144/2	0.096
योग 1	0.096

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करौली टेल माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 14 अगस्त 2002

रा.प्र.क्र. 14/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-राजपुर
(ग) नगर/ग्राम-करौली
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.068 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1444/3	0.068
योग 1	0.068

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-करौली उद्वहन योजना के टेल माईनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण ज़िलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 13 अगस्त 2002

रा.प्र.क्र./16/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-सायर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 26.806 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
235	0.020
236	0.020
246	1.068
251/2	0.259
542	0.243
290	0.419
251/3	0.388
251/5	0.040
251/6	0.340
251/7	0.089
254	0.053
258	0.041
443	0.041
256	0.384
285	0.717
274	0.142
279	0.065
248	0.497
242	0.263
245	0.466
247	0.328
249/2	0.113
249/5	0.332
249/7	1.983
310/7	0.822
295	0.028
251/8	0.041
255	0.040
288/2	0.405
545	0.008
302	0.008
286	0.089
288/1	0.251
285	0.717
238	0.307
308/1	0.048
444	0.044
250	0.045
249/4	0.243
249/6	0.729
251/4	0.089
251/1	0.328
301	0.008
252	0.231
257	0.016
304	0.016
271	0.312
305	0.008
287	0.251
278	0.543
286	0.089
287	0.251
278	0.543
281	0.360
321/5	0.154
292	0.267
284	0.049
316	0.552
300	0.008
293	0.934
294	0.008
306	0.008
311	0.382
546	0.012
310/4	0.494
321/1	0.142
274	0.142

(1)	(2)
279	0.065
283	0.975
315	0.154
544	0.089
310/9	0.486
317	0.870
303	0.008
291	0.959
296	0.008
310/6	0.243
312	0.129
234	0.287
310/12	0.348
561/1	0.230
288/1	0.251
280	0.243
310/8	0.202
289	1.052
282	0.223
313	0.898
321/2	0.024
304	0.450
550	0.008
298	0.170
310/5	0.648
549	0.008
307	0.804
310/26	0.729
योग	26.806

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सायर जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 14 अगस्त 2002

रा.प्र.क्र./17/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-सलबा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.666 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
29/1	0.065
22/2	0.065
23/1	0.053
27	0.040
29/2	0.040
31	0.024
14	0.073
26	0.041
24/2	0.096
32	0.112
30	0.049
33/1	0.008
योग	0.666

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—डांड़गांव जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 14 अगस्त 2002

रा.प्र.क्र./18/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-कूसू
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 4.565 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
917/1	0.245
817	0.012
922	0.073
943/2	0.016
950	0.028
940/2	0.020
1021	0.020
1022/2	0.049
937	0.165
1014	0.024
1029	0.041
1026	0.121
1041	0.041
1024	0.008
1213/1	0.049
1065/2	0.057
1378/4	0.024
917/2	0.245
816/1	0.052
923	0.089
943/3	0.016
921/2	0.020
943/1	0.121
948/2	0.121
936/1	0.101
824/1	0.161
997	0.081
1328	0.012
1034	0.097
1045	0.057
1055/1	0.008
1058	0.093
1214	0.186
1332	0.008
816	0.012
816/2	0.049
943/1	0.016
947	0.045
940/1	0.016
935/2	0.032
1020/1	0.218
936/2	0.036
1046	0.251
1024/2	0.049
1025	0.049
1040	0.081
1037	0.024
1055/2	0.036
1059	0.036
1215	0.036
1216	0.089
815	0.061
1321	0.085
1325	0.012
1335	0.073
1368	0.081
1372	0.145
1379/2	0.024
935/1	0.178
1018/1	0.194
1311	0.057
1323	0.041
1333	0.028
1336	0.049
1367	0.032

(1)	(2)
1374/1	0.210
1231/23	0.008
995	0.008
1232	0.073
1231/3	0.089
1053	0.093
1334	0.065
1337/3	0.081
1370/2	0.016
1379/1	0.041
943/2	0.012
1016/1	0.250
योग	4.565

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—डांड़गांव जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 14 अगस्त 2002

रा.प्र.क्र./19/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-डांड़गांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 4.045 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1095/1	0.089
1134	0.024
1010/1	0.057
955	0.032
1046/1	0.028
1147/1	0.040
883/3	0.016
1150	0.008
1012/2	0.024
1014	0.008
971/1	0.049
1081	0.028
1001/2	0.065
969	0.012
635/1	0.040
635/3	0.020
1087	0.012
1135	0.008
946	0.040
956/1	0.036
1046/2	0.004
1148/1	0.008
1041	0.134
1138/2	0.024
1012/1	0.024
1012/3	0.024
972	0.032
1093/1	0.024
1026	0.065
267	0.089
635/2	0.201
1085	0.105
1097	0.016
1106/2	0.032
947	0.004
956/2	0.016
1044/1	0.040
1147/2	0.040
1136/1	0.008
637	0.016
1020	0.041
544/4	0.016
268	0.040
566/1	0.032

(1)	(2)
967	0.012
1103	0.012
636/1	0.170
1015	0.008
1098	0.004
1106/1	0.032
945	0.032
1044/2	0.045
966/4	0.016
883/2	0.016
1138/1	0.032
1224	0.016
1013	0.056
266	0.101
1076	0.198
1140	0.004
968	0.020
1104/1	0.004
631/1	0.107
1017	0.053
1018	0.020
1123	0.008
1021	0.032
1031/2	0.024
997	0.028
881/1	0.036
562	0.024
630/1	0.036
962	0.016
545/4	0.012
567	0.081
884/1	0.032
1120	0.020
1124	0.008
1027	0.008
247/1	0.032
254	0.146
884/2	0.036
629	0.016
676/5	0.004
545/2	0.049
1032/1	0.008
265	0.036
1121	0.020
1034	0.053
1107	0.012
959/2	0.012
565	0.032
940/3	0.036
260	0.049
543	0.138
545/1	0.012
514/7	0.061
563	0.044
1122	0.069
514/6	0.061
880	0.045
996	0.077
879	0.016
1001/1	0.073
1006	0.032
958	0.028
545/3	0.012
878/2	0.125
940/1	0.061
योग	4.045

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—डांड़गांव जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/2/अ-82/84-85.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-केशकाल
- (ग) नगर/ग्राम-बदवर, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.599 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
8	0.582
80/81	0.032
9/1	0.089
21/26	0.024
9/2	0.085
21/5	0.125
21/12	0.368
21/16	0.125
21/32	0.150
योग	1.599

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कोरकोटी तालाब की नहर नाली हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/8/अ-82/87-88.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-केशकाल
- (ग) नगर/ग्राम-धनोरा, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 3.083 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
52/2	0.243
64/1	0.040
84/8	0.096
53/1	0.405
64/2	0.089
52/1	0.129
84/6	0.142
84/5	0.137
62/2	0.146
65	0.486
84/7	0.146
85/1	0.267
124	0.183
121/1	0.137
84/3	0.073
121/2	0.170
84/1	0.062
62/2	0.121
योग	3.083

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कोरकोटी तालाब हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/7/अ-82/88-89.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर

(ख) तहसील-जगदलपुर

(ग) नगर/ग्राम-बोड़नपाल, प. ह. नं. 26

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.891 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
155/17	0.891
योग	0.891

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कोसारटेड़ा परियोजना की सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/1/अ-82/92-93.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर

(ख) तहसील-केशकाल

(ग) नगर/ग्राम-धनोरा, प. ह. नं. 03

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.162 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
71, 72/3	0.162
योग	0.162

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—धनोरा पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/3/अ-82/92-93.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर

(ख) तहसील-केशकाल

(ग) नगर/ग्राम-सुरडोंगर, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.142 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
42/21	0.142
योग	0.142

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सुरडोंगर तालाब की माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/5/अ-82/92-93.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-केशकाल
- (ग) नगर/ग्राम-बयालपुर, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.890 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/13	0.048
3/2	
3/5	0.176
1/21	0.235
3/6	
21/3	
23/2	
8/2 ग	0.016
12/9	0.065
12/18 ख	0.024
12/19	0.057
22/1	0.024
22/2	0.024
23/2	0.016
45/6	0.008
45/18	0.073
45/7	0.057
45/16	0.065
योग	0.890

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—केशकाल बांसकोट पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/6/अ-82/92-93.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-केशकाल
- (ग) नगर/ग्राम-अड़ेंगा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.58 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6/2	0.03
10	0.16
11	0.09
14	0.13
202	0.12
9/1	0.05
योग	0.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अड़ेंगा पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/9/अ-82/92-93.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-केशकाल
- (ग) नगर/ग्राम-अरण्डी, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.741 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
35	0.385
50/18	0.040
50/25	0.506
54/1	0.040
54/4	0.122
54/5	0.486
57/1	0.040
67/4	0.122
योग	1.741

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बेडमा-धनोरा पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/10/अ-82/92-93.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-केशकाल
- (ग) नगर/ग्राम-विश्रामपुरी, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.149 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
829/4	0.149
योग	0.149

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—विश्रामपुरी तालाब की मुख्य नहर नाली हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/20/अ-82/93-94.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मुरकुची, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.369 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6/18	0.081
6/30	0.073
14/6	0.049
53/6	0.069
76/1	0.097
योग	0.369

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—विश्रामपुरी तालाब की मुख्य एवं माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋचा शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 3 अगस्त 2002

क्रमांक 27/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-करहनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.975 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
68/2	0.024
157	0.065
195/1	0.040
174/1,2	0.081
191/1	0.162
122/1	0.069
169	0.057
193	0.121
118	0.049
196/1	0.032
197/1	0.061
195/2	0.032
122/2	0.085
158	0.077
196/2	0.032
69	0.040
163	0.057
191/2	0.040
103/2	0.053
120	0.097
156/1	0.061
168	0.049
56	0.008
121/1	0.081
124	0.081
213	0.065
215	0.020
216	0.020
71	0.057
167	0.008
103/1	0.053
190	0.016
70	0.061
125	0.121
योग 34	1.975

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—काशीनाला जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 अगस्त 2002

क्रमांक 16/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
(ग) नगर/ग्राम-पड़रिया, प. ह. नं. 33
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.561 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	13/1 क	0.146
	108/2	0.053
	27/8 क	0.041
	27/5 ख	0.097
	27/2 क	0.089
	27/8 ख	0.053
	19/4	0.032
	25	0.388
	20	0.218
	26/2	0.085
	17/1	0.028
	27/5क	0.097
	27/7 ख	0.093
	12/2	0.028
	13/4 ख	0.113
	2	0.14
योग	15	1.561

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—घाघरा जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 20/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
(ग) नगर/ग्राम-नवापारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.075 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	17/4	0.053
	40/1	0.097
	16/1	0.194
	43/1	0.036
	46/4	0.081
	43/2	0.036
	42	0.036
	13/1 क	0.093
	17/2	0.053
	17/1	0.283
	40/2	0.032
	12	0.081
योग	12	1.075

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—घाघरा जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 3/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-आमाडांड़, प. ह. नं. 32

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.809 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
483/3	0.190
495/1	0.182
496/1	0.097
494	0.073
498	0.073
493	0.162
497/1	0.032
योग 7	0.809

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—घाघरा जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

STATE BAR COUNCIL OF MADHYA PRADESH AND CHHATTISGARH

HIGH COURT CAMPUS, JABALPUR

Jabalpur, the 23rd August 2002

No. SBC/ELE/NOTF/6/2002.—It is hereby notified that on constitution of Separate State of Chhattisgarh as contemplated under Madhya Pradesh State reorganization Act of 2000 (Act 28 of 2000), election of 25 Members of State Bar Council of Chhattisgarh was held on 8th July 2002 and as required under Section 30 (3) of State Bar Council of Madhya Pradesh Election Rules following candidates have been declared elected as Members of State Bar Council of Chhattisgarh.

LIST OF ELECTED CANDIDATES

Sl. No. (1)	Name (2)	Address (3)
1.	Shri Padma Kumar Agrawal	"Shiv Sadan", Murarka Lane, Korba.
2.	Shri K. M. Jain	Edward Road, Raipur.
3.	Shri Prashant Mishra	Normal School Road, Near High Court, Bilaspur.

(1)	(2)	(3)
4.	Shri Prabhat Kumar C. Tiwari	Chikhali, Rajnandgaon.
5.	Shri Neel Ratan Jaiswal	Police Line Road, Ambikapur.
6.	Shri Suresh Kumar Sinha	Sinha Chamber, Vikas, Nagar, Bilaspur.
7.	Shri Yashwant Tiwari	56, Teacher's Colony, Durg.
8.	Shri Faizal Rizvi	G. E. Road, Raipur.
9.	Shri Ashok Kumar Tiwari	MIG-23, R. P. Nagar, Korba.
10.	Shri Shailendra Dubey	Near Tiwari Chawl, Jarhabhata, Bilaspur.
11.	Shri Prahlad Kumar Tiwari	Bhraminpara, Durg.
12.	Shri Anand Kumar Sharma	Kankalipara, Raipur.
13.	Shri Pritinkar Diwakar	Mitra Vihar, Link Road, Bilaspur.
14.	Shri Yogesh Chandra Shrama	Brahminpara, Raipur.
15.	Shri Prakash Chand Pant	79-Amapara, Pant Building, Kanker.
16.	Shri Bal Krishna Mishra	Near Cheer Ghar, Janjgir.
17.	Ku. Nirupama Bajpai	Bajpai Banglow, Tilak Nagar, Bilaspur.
18.	Shri Ram Narayan Vyas	24, Vivekanand Nagar, Raipur.
19.	Shri Narayan Singh Dhurandhar	Near Prabhat Talkies, Durg.
20.	Shri Shiv Narayan Pandey	Tiwari Building, Jagdalpur.
21.	Shri Ramayan Lal Jangde	Purani Basti, Satnami Muhlla, Korba.
22.	Shri Ramesh Chandra Singh	Bar Association, Manendragarh
23.	Shri Basant Rai	Baldeo Bag, Rajnandgaon.
24.	Shri Baba Singh Thakur	Seepat Road, Sarkanda, Bilaspur.
25.	Shri R. B. Sahu	Civil Line, Mahasamund.

Rajendra Jain,
Returning Officer & Secretary.

कार्यालय, जिला शहरी विकास अभिकरण, जिला-कोरिया (छ. ग.)

बैकुन्ठपुर, दिनांक 19 जुलाई 2002

क्रमांक 68/जिला शहरी विकास/2002.—म. प्र. नगरपालिका अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (2) (एक) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वार्ड क्रमांक-6 को नीचे उल्लेखित कारण से एतद्द्वारा रिक्त अधिसूचित किया जाता है :—

अनुसूची

क्रमांक	निकाय का नाम	वार्ड क्रमांक व नाम	आरक्षित/ अनारक्षित	पार्षद का नाम	पद रिक्ति का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	नगर पंचायत बैकुन्ठपुर जिला कोरिया.	वार्ड क्रमांक 6, एस.ई.सी.एल. वार्ड.	अनारक्षित	श्री भूपेन्द्रसिंह	त्यागपत्र देने के कारण.

विकास शील,
कलेक्टर.

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2002

क्रमांक /दो/भिलाई-चरौदा/अधिसूचना/2002/4553.—नगरपालिका परिषद् भिलाई-चरौदा के संकल्प क्र. 10 दिनांक 17-1-2002 के अंतर्गत करों की वसूली के लिए कुर्की वारंट हेतु म. प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 166 में निहित धारा 167 से 170 तक के विस्तार हेतु पारित किया गया है. अत: नगरपालिका परिषद् भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग द्वारा उक्त पारित संकल्प के तहत मैं बी. के. सिन्हा, संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर म. प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 166 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारायें 167 से 170 तक के अधिकार एतद्द्वारा विस्तारित करता हूं.

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2002

क्रमांक/दो/कुम्हारी/अधिसूचना/2002/4996.—नगर पंचायत कुम्हारी के संकल्प क्र. 10 दिनांक 16-1-2002 के अंतर्गत करों की वसूली के लिए कुर्की वारंट हेतु म. प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 166 में निहित धारा 167 से 170 तक के विस्तार हेतु पारित किया गया है. अत: नगर पंचायत कुम्हारी जिला दुर्ग द्वारा उक्त पारित संकल्प के तहत मैं, बी. के. सिन्हा, संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर म. प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 166 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारायें 167 से 170 तक के अधिकार एतद्द्वारा विस्तारित करता हूं.

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2002

क्रमांक/दो/पत्थलगांव/अधिसूचना/2002/4998.—नगर पंचायत पत्थलगांव के संकल्प क्र. 27 दिनांक 17-5-2000 के अंतर्गत करों की वसूली के लिए कुर्की वारंट हेतु म. प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 166 में निहित धारा 167 से 170 तक के विस्तार हेतु पारित किया गया है. अत: नगर पंचायत पत्थलगांव जिला जशपुर द्वारा उक्त पारित संकल्प के तहत मैं बी. के. सिन्हा, संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर म. प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 166 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारायें 167 से 170 तक के अधिकार एतद्द्वारा विस्तारित करता हूं.

बी. के. सिन्हा,
संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर, दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 25 जून 2002

क्रमांक 8945/प्र. कले./2002.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 17/ई/40/99/21-ब (दो) भोपाल, दिनांक 8-4-1999 के अंतर्गत भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 का संख्या 15 की धारा 6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये धर्म-कर्म कराने वाले क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च राजहरा-श्री बृजभूषणदास आ. धनुषदास साकिन राजहरा के पास्टर को विवाह अनुष्ठापित कराने और भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु केवल दुर्ग जिले के लिये अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

आई. सी. पी. केसरी,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, (खनिज शाखा) जांजगीर-चांपा, छ. ग.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अगस्त 2002

क्रमांक 15699/क/ख.लि./2002.—म. प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 12 के तहत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला जांजगीर-चांपा छ. ग. में नीचे दी गई तालिका में वर्णित क्षेत्र का इस विज्ञप्ति के छ. ग. राजपत्र में प्रकाशन होने के तिथि से 30 दिवस के पश्चात् खनिज रियायत हेतु क्षेत्र उपलब्ध होंगे :—

क्रमांक (1)	जिला (2)	तहसील (3)	ग्राम (4)	ख. नं. (5)	रकबा (6)	खनिज (7)	विवरण (8)
1.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर	बिरगहनी	160	2.00 ए.	चूना-पत्थर	शासकीय भूमि

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर	बिरगहनी	160	2.00 ए.	चूना-पत्थर	शासकीय भूमि
3.	—"—	—"—	दर्राभाठा	406 432	2.00 ए.	—"—	—"—
4.	—"—	—"—	बिरगहनी	294/1	2.00 ए.	—"—	—"—

आर. जी. के. पिल्लई,
अपर कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), रायपुर,

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2002

क्रमांक क/ख. लि./2002/581.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के अंतर्गत चूना-पत्थर खनिज के लिए सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के 30 (तीस) दिन के पश्चात् आवंटन के लिये उपलब्ध रहेगा. आवेदन-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् व आवेदित क्षेत्र चूना-पत्थर खनिज का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा कराया जायेगा और विधिवत लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	प.ह.नं (3)	तहसील (4)	ख. नं. (5)	रकबा (6)	अन्य विवरण (7)
1.	मंदिर हसौद	73/14	रायपुर	716/1 निजी भूमि	4.00 एकड़	श्री इंद्रजीत सिंह चावला को दिनांक 14-8-92 से 13-8-2002 तक स्वीकृत खदान लीज अवधि समाप्त होने से.
2.	रावन	30	सिमगा	652/1	1.80 एकड़	ग्रासीम सीमेंट को दिनांक 15-4-99 से 14-4-2002 तक स्वीकृत खदान लीज अवधि समाप्त होने से.

जे. मिंज,
अपर कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश एवं अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 21st June 2002

No. 3359/Confdl./2002/II-2-1/2002 (Pt-II).—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following Civil Judge, Class-I/Additional Chief Judicial Magistrate as specified in column No. (2) from the place shown at column No. (3) and posts him as Civil Judge Class-I/Chief Judicial Magistrate at the place shown at column No. (4) from the date he assumes charge of his duties :—

In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the following Civil Judge, Class-I and Additional Chief Judicial Magistrate as Chief Judicial Magistrate of the Revenue District shown in column No. 5 which falls in Civil District shown in column No. 6 from the date the assumes charge of his duties :—

TABLE-"A"

Sl. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Civil District (6)	Remarks (7)
1.	Shri Nirmal Minj	Surajpur	Kanker	Kanker	Bastar	As I Civil Judge, Class-I & Chief Judicial Magistrate in the vacant court.

Bilaspur, the 21st June 2002

No. 3359-A/Confdl./2002/II-2-1/2002 (Pt-II).—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India the High Court of Chhattisgarh hereby, transfers the following Civil Judge, Class-I and Judicial Magistrate First Class as specified in column No. (2) from the place shown at column No. (3) and posts him as Civil Judge Class-I/Additional Chief Judicial Magistrate at the place shown at column No. (4) from the date he assumes charge of his duties :—

In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 12 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the following Civil Judge, Class-I as Additional Chief Judicial Magistrate of the Revenue District shown in column No. 5 from the date he assumes charge of his duties :—

TABLE-"B"

Sl. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Remarks (6)
1.	Shri Lochan Ram Thakur.	Dharamjaygarh	Surajpur	Surguja	As Civil Judge, Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate vice Shri Nirmal Minj.

Note : Shri Lochan Ram Thakur, shall be entitled to draw the scale of Civil Judges-Selection Grade-cum-Chief Judicial Magistrates (CJMs/ACJMs) only on completion of 4 years service as Civil Judge-Senior Scale (Civil Judges, Class-I).

Bilaspur, the 21st June 2002

No. 3359-B/Confdl./2002/II-2-1/2002 (Pt-II).—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following Civil Judge Class-II and Judicial Magistrate First Class as specified in column No. (2) in the same capacity from the place shown at column No. (3) and posts him at the place and post mentioned against his name in column Nos. (4) & (6) respectively from the date he assumes charge of his duties, viz. :—

TABLE-"C"

Sl. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	District (5)	Remarks (6)
1.	Shri Anand Kumar Singhal	Raigarh	Dharamjaygarh	Raigarh	As Civil Judge, Class-II in the vacant court.

Bilaspur, the 25th June 2002

No. 3362/Confdl./2002/II-15-21/2001.—In the light of the Judgment of the Hon'ble Supreme Court in Brij Mohan Lal Vs. Union of India & Others [JT 2002 (4) SCC 605], Hon. the Chief Justice has been pleased to rescind this High Court's order dated 23-4-2001 relating to vacations, and order dated 30-6-2001 relating to casual leave and other type of leave to the persons appointed as Judges under the Fast Track Court Scheme, and has been pleased to direct that persons appointed under the Fast Track Court Scheme shall be governed, for the purpose of leave, reimbursement of medical expenses, T.A./D.A. and conduct rules and such other bebefits, by the rules and regulations which are applicable to the members of the Judicial Services of the State of equivalent status.

By order of Hon. the Chief Justice,
B. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 25 जून 2002

क्रमांक 3367/तीन-6-1/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री के. आर. रिगरी, न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, बेमेतरा, जिला दुर्ग में पदस्थापित हैं, को न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 जून 2002

क्रमांक 3458/तीन 6-1/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सपठित धारा 32 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायलय, छत्तीसगढ़ कु. संघरत्ना भत्पहरी, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर में पदस्थापित हैं को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित अपराधों के संक्षेपत: विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 जून 2002

क्रमांक 3460/तीन-6-1/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री छमेश्वरलाल पटेल, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर में पदस्थापित हैं को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित अपराधों के संक्षेपतः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 जून 2002

क्रमांक 3462/तीन-6-1/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री मनीष कुमार ठाकुर, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पेण्ड्रा रोड, जिला बिलासपुर में पदस्थापित हैं को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित अपराधों के संक्षेपतः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 जून 2002

क्रमांक 3464/तीन-6-1/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्रीमती गीता नेवारे, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर में पदस्थापित हैं को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित अपराधों के संक्षेपतः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 जून 2002

क्रमांक 3466/तीन-6-1/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री बी. पी. पाण्डेय, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर में पदस्थापित हैं को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित अपराधों के संक्षेपतः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 जुलाई 2002

क्रमांक 3748/तीन-6-1/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री एस. के. केतारप, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबिकापुर जो राजस्व जिला सरगुजा में पदस्थापित हैं को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित अपराधों के संक्षेपतः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 जुलाई 2002

क्रमांक 3750/तीन-6-1/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री थॉमस एक्का, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर जो राजस्व जिला सरगुजा में पदस्थापित हैं को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित अपराधों के संक्षेपतः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 जुलाई 2002

क्रमांक 3752/तीन-6-1/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री डी. एन. भगत, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा जो राजस्व जिला कोरबा में पदस्थापित हैं को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित अपराधों के संक्षेपत: विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
ए. के. पण्डा, एडीशनल रजिस्ट्रार.

बिलासपुर, दिनांक 22 जुलाई 2002

क्रमांक 80/दो-2-6/2002.—श्री बी. एम. टण्डन, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश दिनांक 31-1-2002 को अपराह्न में अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उन्हें उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 180 दिवस (एक सौ अस्सी दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आज्ञानुसार,
सी. एस. पारे, एडीशन रजिस्ट्रार (प्रशासन).

Bilaspur, the 5th August 2002

No. 4216/Confdl./2002/II-2-1/2002.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following member of Higher Judicial Service specified in column No. (2) of the table below from the place shown in column No. (3) to the place shown in the column No. (4) and posts him as Additional District Judge as mentioned in column No. (6) from the date he assumes charge of his Office viz. :—

In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby appoints the following member of Higher Judicial Service as Additional Sessions Judge in the Sessions Division specified against his name in column No. (5) of the table below, viz. :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Remarks (6)
1.	Shri P. N. Tembhurkar	Mahasamund	Balod	Durg	As Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.

Bilaspur, the 6th August 2002

No. 4218/II-2-1/2002 (Pt. II).—In exercise of the powers conferred under Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, posts the following member of Higher Judicial Service specified in column No. (2) of the table below as Additional District & Sessions Judge of the Court specified in column No. (3) from the date he assumes charge of his Office, viz. :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	Posted in the Court of (3)
1.	Shri Shiv Mangal Pandey, II Additional District & Sessions Judge, Jagdalpur.	I Additional District & Sessions Judge Jagdalpur.

बिलासपुर, दिनांक 6 अगस्त 2002

क्रमांक 4221/तीन-22-3/2002(मनेन्द्रगढ़-बैकुण्ठपुर).—मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनेन्द्रगढ़ अपने घोषित कार्यस्थल मनेन्द्रगढ़ के अतिरिक्त बैकुण्ठपुर में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा स्थान अंबिकापुर द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में कार्य करेंगे.

Bilaspur, the 6th August 2002

No. 4221/III-22-3/2002 (Manendragarh-Baikunthpur).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the court of Additional District and Sessions Judge, Manendragarh in addition to his place of sitting declared at Manendragarh shall also sit at Baikunthpur on such dates as may be approved by the District and Sessions Judge, Surguja at Ambikapur from time to time.

बिलासपुर, दिनांक 6 अगस्त 2002

क्रमांक 4223/तीन-6-8/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी अधिसूचना क्रमांक 3147/तीन-6-8/2000, दिनांक 3 अगस्त, 2001 को अतिष्ठित करते हुये उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (क्रमांक 53 सन् 1986) के अधीन उद्भूत दाण्डिक मामलों का विचारण करने के लिये नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ क्रमांक (2) में विनिर्दिष्ट न्यायिक मैजिस्ट्रेट को मध्यप्रदेश शासन, समाज कल्याण विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक डी-1976/2359/26/2-88 दिनांक 23-6-1989 के द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (क्रमांक 53 सन् 1986) की धारा 5 के अंतर्गत निर्मित विशेष न्यायालय में द्वितीय न्यायिक मैजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अनुसूची के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शाये जिलों के लिये विशेष न्यायिक मैजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्रमांक (1)	विशेष द्वितीय न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम (2)	मुख्यालय (3)	स्थानीय अधिकारीयत व जिला (4)
1.	श्रीमती गीता नेवारे	बिलासपुर	बिलासपुर

Bilaspur, the 6th August 2002

No. 4223/III-6-8/2000.—In exercise of the powers Conferred by Sub-Section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), and in supersession of its notification No. 3147/III-6-8/2000, dated 3rd August 2001, the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby, appoints the Judicial Magistrate specified in column No. (2) of the Scheduled below as a Second Judicial Magistrate First Class in the Special Court established by the State Government of Madhya Pradesh under Section 5 of the Juvenile Justice Act, 1986 (No. 53 of 1986) vide Social Welfare Department, Bhopal Notification No. D/1976/2359/26/2-88, dated 23-6-1989 for the local Jurisdiction specified in the corresponding entries in column No. (4) of the said schedule with head quarter at the place shown in corresponding entries in column No. (3) thereof, to try cases relating to Juveniles under the Juvenile Justice Act, 1986 (No. 53 of 1986), namely :—

SCHEDULED

Sl. No. (1)	Name of the Special Second Judicial Magistrate First Class (2)	Head Quarter (3)	Local Areas (4)
1.	Smt. Geeta Neware	Bilaspur	Bilaspur

By order of the High Court,
B. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 19 अगस्त 2002

क्रमांक 4460/11-2-58/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री डी. के. दामले, विशेष न्यायाधीश, दुर्ग को दिनांक 18-6-2001 से दिनांक 30-6-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 13 दिन का अर्जित अवकाश दिया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16-6-2001 से 17-6-2001 एवं पश्चात् में दिनांक 1-7-2001 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. दामले विशेष न्यायाधीश को दुर्ग पुन: पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. दामले उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 19 अगस्त 2002

क्रमांक 4461/11-2/58/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री डी. के. दामले, विशेष न्यायाधीश, दुर्ग को दिनांक 9-7-2001 से दिनांक 13-7-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का कम्युटेड अवकाश दिया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक एवं पश्चात् में दिनांक 14-7-2001 से 15-7-2001 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. दामले, विशेष न्यायाधीश को दुर्ग पुन: पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. दामले उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 19 अगस्त 2002

क्रमांक 4462/11-2-58/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री डी. के. दामले, विशेष न्यायाधीश, दुर्ग को दिनांक 13-8-2001 से दिनांक 16-8-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 4 दिन का कम्युटेड अवकाश दिया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक एवं पश्चात् में दिनांक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. दामले, विशेष न्यायाधीश को दुर्ग पुन: पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. दामले उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 19 अगस्त 2002

क्रमांक 4463/11-2-58/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री डी. के. दामले, विशेष न्यायाधीश, दुर्ग को दिनांक 24-12-2001 से दिनांक 29-12-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 6 दिन का अर्जित अवकाश दिया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22-12-2001 से 23-12-2001 एवं पश्चात् में दिनांक 30-12-2001 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. दामले, विशेष न्यायाधीश को दुर्ग पुन: पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. दामले उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 19 अगस्त 2002

क्रमांक 4464/11-2-58/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री डी. के. दामले, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को दिनांक 15-6-2002 से दिनांक 1 दिन का अर्जित अवकाश दिया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक एवं पश्चात् में दिनांक 16-6-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. दामले, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को दुर्ग पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. दामले उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 19 अगस्त 2002

क्रमांक 4465/11-2-58/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री डी. के. दामले, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को दिनांक 25-6-2002 से दिनांक 29-6-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश दिया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22-6-2002 से 24-6-2002 एवं पश्चात् में दिनांक 30-6-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. दामले, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को दुर्ग पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. दामले उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 19 अगस्त 2002

क्रमांक 4466/11-2-58/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री डी. के. दामले, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को दिनांक 15-7-2002 से दिनांक 18-7-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 4 दिन का कम्युटेड अवकाश दिया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13-7-2002 से 14-7-2002 एवं पश्चात् में दिनांक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. दामले, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को दुर्ग पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. दामले उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
डिप्टी रजिस्ट्रार.

बिलासपुर, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 4655/तीन-6-1/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री एच. एस. टेकाम, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जांजगीर जो राजस्व जिला जांजगीर में पदस्थापित हैं, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित अपराधों को संक्षेपत: विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 4657/तीन-6-1/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री संजय कुमार सोनी, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जांजगीर जो राजस्व जिला जांजगीर में पदस्थापित हैं, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित अपराधों को संक्षेपत: विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
ए. के. पण्डा, एडीशनल रजिस्ट्रार.

Bilaspur, the 3rd September 2002

No. 4719/Confdl./2002/II-2-1/2002 (Pt. II).—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following Chief Judicial Magistrates/Additional Chief Judicial Magistrates as specified in column No. (2) of the table below, who have been appointed as Additional District Judges on adhoc basis to preside over the Fast Track Courts vide Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department, Raipur Order No. 5612/D-2934/XXI-B (C. G.)/2002 dated 23-8-2002, & posts them as Additional District Judge in the Fast Track Courts, established by the State Government under a scheme of the XI finance Commission, as mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their Office until further orders, viz. :—

In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the following Additional District Judges as Additional Sessions Judge to exercise jurisdiction in the Court of Session in the Sessions Division specified against their respective names in column No. (5) of the table below, viz. :—

TABLE

Sl. No.	Name	From	To	Sessions Division	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Shri Bhuneshwar Ram Pradhan.	Baikunthpur	Mungeli	Bilaspur	As III Additional District & Sessions Judge in the vacant Fast Track Court.
2.	Shri Khagendra Singh	Jashpurnagar	Raipur	Raipur	As VIII Additional District & Sessions Judge in the vacant Fast Track Court.
3.	Shri Ashok Kumar Potdar.	Korba	Ambikapur	Surguja	As V Additional District & Sessions Judge in the Fast Track Court vice Shri A. K. Pathak.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Shri Tularam Churendra	Dantewara	Surajpur	Surguja	As II Additional District & Sessions Judge in the Fast Track Court vice Shri Sanjay Sendrey.
5.	Smt. Rajni Dubey	Durg	Durg	Durg	As VII Additional District & Sessions Judge in the vacant Fast Track Court until further Orders.
6.	Shri Neelam Chand Sankhla.	Mahasamund	Pendra-Road	Bilaspur	As Additional District & Sessions Judge in the vacant Fast Track Court.
7.	Shri Naresh Kumar Chandrawanshi.	Bilaspur	Korba	Bilaspur	As II Additional District & Sessions Judge in the Fast Track Court vice Shri A. K. Goyal.
8.	Shri Ravi Shankar Sharma.	Raigarh	Bemetara	Durg	As III Additional District & Sessions Judge in the Fast Track Court vice Shri M. A. Farooqui.
9.	Shri Vijyendra Nath Pandey.	Jagdalpur	Ramanujganj	Surguja	As Additional District & Sessions Judge in the vacant Fast Track Court.
10.	Shri Vinay Kumar Kshyap.	Janjgir	Ambikapur	Surguja	As VI Additional District & Sessions Judge in the vacanct Fast Track Court.
11.	Shri Deepak Kumar Tiwari.	Rajnandgaon	Kawardha	Rajnandgaon	As Additional District & Sessions Judge in the vacant Fast Track Court.

Bilaspur, the 3rd September, 2002

No. 4719/Confdl./2002/II-2-1/2002 (Pt. II).—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following members of Higher Judicial Service specified in column No. (2) of the table below from the place shown in column No. (3) to the place shown in the column No. (4) and posts him as Additional District Judge as mentioned in column No. (6) from the date they assumes charge of their Office, viz. :—

In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the following members of Higher Judicial Service as Additional Sessions Judge to exercise jurisdiction in the Court of Session in the Sessions Division specified against their name in column No. (5) of the table below, viz. :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Remarks (6)
1.	Shri Ashok Kumar Goyal.	Korba	Mahasamund	Raipur	As I Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.
2.	Shri Sanjay Sendre	Surajpur	Surajpur	Surguja	As I Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.
3.	Shri Amrit Lal Dahariya	Raigarh	Raigarh	Raigarh	As IV Additional District & Sessions Judge in the Fast Track Court vice Shri A. R. Dhruv.
4.	Shri Anuj Ram Dhruv	Raigarh	Raigarh	Raigarh	As II Additional District & Sessions Judge vice Shri A.L. Dahariya.
5.	Shri Ashok Kumar Pathak.	Ambikapur	Baikunthpur	Surguja	As Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.
6.	Shri Anand Kumar Beck	Bemetara	Jagdalpur	Bastar	As II Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.
7.	Shri Ganpat Rao	Raipur	Raipur	Raipur	As IX Additional District & Sessions Judge in the vacant Fast Track Court.
8.	Shri Anil Kumar Shukla.	Raipur	Raipur	Raipur	As I Additional District & Sessions Judge vice Shri Ganpat Rao.
9.	Shri M. A. Farooqui	Bemetara	Durg	Durg	As VIII Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.

Bilaspur, the 3rd September, 2002

CORRIGENDUM

No. 4719-A/Confdl./2002/II-2-1/2002 (Pt. II).—In the order No. 4719/Confdl./2002/II-2-1/2002 (Pt. II) dated 3rd September, 2002 of the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, the posting of Shri M. A. Farooqui appearing in column No. 6 of the table may be read as "As VIIIth Additional District & Sessions Judge in the vacant Fast Track court".

Bilaspur, the 3rd September, 2002

No. 4721/Confdl./2002/II-2-1/2002 (Pt. II).—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following Civil Judges, Class-I & Additional Chief Judicial Magistrates as specified in column No. (2) from the place shown in column No. (3) and posts them as Civil Judges, Class-I & Chief Judicial Magistrates at the place shown in column No. (4) from the date they assume charge of their Office, viz. :—

In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the following Civil Judges, Class-I & Additional Chief Judicial Magistrates as Chief Judicial Magistrates of the Revenue District shown in column No. 4 which falls in Civil District shown in column No. 5 from the date they assume charge of their duties, viz. :—

TABLE-"A"

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (Revenue District) (4)	Civil District (5)	Remarks (6)
1.	Shri Makardhawaj Jagdalla.	Bemetara	Baikunthpur	Surguja	As Civil Judge, Class-I & Chief Judicial Magistrate.
2.	Shri Sewak Ram Banjare	Dongargarh	Raigarh	Raigarh	As 1st Civil Judge, Class-I & Chief Judicial Magistrate.
3.	Shri Agralal Joshi	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	As 1st Civil Judge, Class-I & Chief Judicial Magistrate.
4.	Shri Bhuneshwar Ram	Sakti	Dantewara	Bastar	As Civil Judge, Class-I & Chief Judicial Magistrate.
5.	Shri Ravi Shankar Sai	Raipur	Rajnandgaon	Rajnandgaon	As 1st Civil Judge, Class-I & Chief Judicial Magistrate.
6.	Shri Siprial Xess	Durg	Durg	Durg	As 1st Civil Judge, Class-I & Chief Judicial Magistrate.
7.	Shri Lochan Ram Thakur.	Surajpur	Jashpur	Raigarh	As Civil Judge, Class-I & Chief Judicial Magistrate.
8.	Shri Nand Kumar Singh Thakur.	Khairagarh	Jagdalpur	Bastar	As 1st Civil Judge, Class-I & Chief Judicial Magistrate.

Bilaspur, the 3rd September, 2002

No. 4722/Confdl./2002/II-2-1/2002 (Pt. II).—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India read with Sub-section (1) of Section 8 and Sub-section (2) of Section 12 of the M. P. Civil Courts Act, 1958, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following Civil Judges Class-I and Judicial Magistrates First Class as specified in column No. (2), who have been promoted as Chief Judicial Magistrates/Additional Chief Judicial Magistrates on adhoc basis, from the place shown in column No. (3), and posts them as Civil Judges Class-I & Chief Judicial Magistrates/Additional Chief Judicial Magistrates at the place shown in column No. (4) from the date they assume charge of their Office until further orders, viz. :—

In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) & (2) of Section 12 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the following Civil Judge, Class-I as Chief Judicial Magistrates/Additional Chief Judicial Magistrates of the place shown in column No. 4 from the date they assume charge of their Office. The Additional Chief Judicial Magistrates shall have all the powers of Chief Judicial Magistrate under this Code or under any other law for the time being except the powers under Section 14, 15, 190 (2), 192 (1) and 410 of the Code of Criminal Procedure :—

TABLE-"A"

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Civil District (5)	Remarks (6)
1.	Smt. Amrita Sanjay Lal.	Raipur	Korba	Bilaspur	On being recalled from Human Rights Commission, Raipur as 1st Civil Judge, Class-I & Chief Judicial Magistrate for the Revenue District Korba.
2.	Shri Veer Singh Salam	Sarangarh	Janjgir	Bilaspur	As 1st Civil Judge, Class-I & Chief Judicial Magistrate for the Revenue District Janjgir.
3.	Shri Sanjay Kumar Jaiswal.	Baloda-Bazar	Mahasamund	Raipur	As 1st Civil Judge, Class-I & Chief Judicial Magistrate for the Revenue District Mahasamund.
4.	Shri Kanwal Lal Charyani.	Sakti	Bemetara	Durg	As Civil Judge, Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.
5.	Shri Jaideep Vijay Nimonkar.	Pendra-Road	Dongargarh	Rajnandgaon	As Civil Judge, Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.
6.	Shri Noordin Tigala	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	As III Civil Judge, Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.
7.	Shri Shailesh Kumar Tiwari.	Mahasamund	Khairagarh	Rajnandgaon	As Civil Judge Class-I, & Additional Chief Judicial Magistrate.
8.	Shri Narendra Singh Chawla.	Bilaspur	Sakti	Bilaspur	As Civil Judge, Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.
9.	Smt. Minakshi Gondaley	Raipur	Raipur	Raipur	As VI Civil Judge, Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Shri Ram Kumar Tiwari.	Durg	Durg	Durg	As Additional Judge to the Court of I Civil Judge, Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.
11.	Shri Jagdamba Rai	Bilaspur	Surajpur	Surguja	As Civil Judge, Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.

Note :—The newly promoted Chief Judicial Magistrates/Additional Chief Judicial Magistrates who have not completed minimum qualifying service of 4 years shall be entitled to draw the scale of Civil Judges Selection Grade-cum-Chief Judicial Magistrates (CJMs/ACJMs) only on completion of 4 years service as Civil Judge-Senior Scale (Civil Judges, Class-I).

Bilaspur, the 3rd September, 2002

No. 4724/Confdl./2002/II-2-1/2002 (Pt. II).—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India read with Sub-section (1) of Section 8 and Sub-section (2) of Section 12 of the M. P. Civil Courts Act, 1958, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following Civil Judges Class-II as specified in column No. (2), who have been promoted as Civil Judge, Class-I on adhoc basis, from the place shown in column No. (3) and posts them as Civil Judges Class-I at the place shown in column No. (4) from the date they assume charge of their Office until further orders, viz. :—

TABLE-"A"

Sl. No.	Name	From	To	Civil District	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Smt. Kanta Martin	Durg	Durg	Durg	As IInd Civil Judge, Class-I vice Shri R. K. Tiwari.
2.	Shri Anand Kumar Singhal.	Dharamjaigarh	Dharamjaigarh	Raigarh	As Additional Judge to the Court of I Civil Judge, Class-I, Raigarh at Dharamjaigarh.
3.	Shri Ashok Kumar Lunia.	Gariaband	Gariaband	Raipur	As Civil Judge, Class-I in the vacant Court.
4.	Shri Suresh Kumar Soni.	Kondagaon	Kondagaon	Bastar	As Additional Judge to the Court of I Civil Judge, Class-I, Jagdalpur at Kondagaon.
5.	Shri Onkar Prasad Gupta.	Balod	Baloda-Bazar	Raipur	As Civil Judge, Class-I vice Shri S. K. Jaiswal.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Shri Bhishma Prasad Pandey.	Bilaspur	Bialspur	Bilaspur	As Vth Civil Judge, Class-I, vice Shri Jagdamba Rai.
7.	Shri Arvind Kumar Sinha.	Kanker	Pendra-Road	Bilaspur	As Civil Judge, Class-I, vice Shri J. V. Nimonkar.
8.	Shri Balindar Singh Saluja.	Ambikapur	Bilaspur	Bilaspur	As IInd Civil Judge, Class-I vice Shri N. S. Chawla.
9.	Ku. Satyabhama Jaiswal	Ambikapur	Mahasamund	Raipur	As IIIrd Civil Judge, Class-I vice Shri S. K. Tiwari.
10.	Shri Hemant Kumar Agrawal.	Bhanupratappur	Bhanupratappur	Bastar	As Additional Judge to the Court of I Civil Judge, Class-I, Jagdalpur at Bhanupratap-pur.
11.	Shri Rajnish Shrivastava	Mahasamund	Ambikapur	Surguja	As IInd Additional Judge to the Court of I Civil Judge, Class-I, Ambikapur.

Note : The newly promoted Civil Judges, Class-I who have not completed minimum qualifying service of 6 years shall be entitled to draw the scale of Civil Judges-Senior Scale (Civil Judges, Class-I) only on completion of 6 years service as Civil Judge-Junior Scale (Civil Judges, Class-II).

By order of the High Court,
B. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2002

क्रमांक 4844/11-2-32-2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री जे. के. एस. राजपूत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को दिनांक 19-9-2001 से दिनांक 21-9-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 3 दिन का कम्युटेड अवकाश दिया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक एवं पश्चात् में दिनांक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. एस. राजपूत जिला एवं सत्र न्यायाधीश को बिलासपुर पुन: पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. एस. राजपूत उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2002

क्रमांक 4845/11-2-32-2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री जे. के. एस. राजपूत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को दिनांक 3-9-2001 से दिनांक 4-9-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 2 दिन का कम्युटेड अवकाश दिया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक एवं पश्चात् में दिनांक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. एस. राजपूत जिला एवं सत्र न्यायाधीश को बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. एस. राजपूत उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2002

क्रमांक 4846/11-2-32-2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री जे. के. एस. राजपूत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को दिनांक 23-10-2001 से दिनांक 24-10-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 2 दिन का अर्जित अवकाश दिया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक एवं पश्चात् में दिनांक 25-10-2001 से दिनांक 26-10-2001 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. एस. राजपूत जिला एवं सत्र न्यायाधीश को बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. एस. राजपूत उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2002

क्रमांक 4847/11-2-32-2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री जे. के. एस. राजपूत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को दिनांक 4-12-2001 से दिनांक 10-12-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 7 दिन का अर्जित अवकाश दिया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक एवं पश्चात् में दिनांक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. एस. राजपूत जिला एवं सत्र न्यायाधीश को बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. एस. राजपूत उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2002

क्रमांक 4848/11-2-32-2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री जे. के. एस. राजपूत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव को दिनांक 14-1-2002 से दिनांक 18-1-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश दिया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12-1-2002 से 13-1-2002 एवं पश्चात् में दिनांक 19-1-2002 से 20-1-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. एस. राजपूत जिला एवं सत्र न्यायाधीश को राजनांदगांव पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. एस. राजपूत उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2002

क्रमांक 4849/11-2-32-2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री जे. के. एस. राजपूत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव को दिनांक 4-4-2002 से दिनांक 6-4-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 3 दिन का अर्जित अवकाश दिया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक एवं पश्चात् में दिनांक 7-4-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. एस. राजपूत जिला एवं सत्र न्यायाधीश को राजनांदगांव पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. एस. राजपूत उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2002

क्रमांक 4850/11-2-32-2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री जे. के. एस. राजपूत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव को दिनांक 1-7-2002 से दिनांक 6-7-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 6 दिन का अर्जित अवकाश दिया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30-6-2002 एवं पश्चात् में दिनांक 7-7-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. एस. राजपूत जिला एवं सत्र न्यायाधीश को राजनांदगांव पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. एस. राजपूत उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2002

क्रमांक 4851/11-2-32-2002.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री जे. के. एस. राजपूत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव को दिनांक 3-9-2002 से दिनांक 6-9-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 4 दिन का अर्जित अवकाश दिया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक एवं पश्चात् में दिनांक 7-9-2002 से 8-9-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. एस. राजपूत जिला एवं सत्र न्यायाधीश को राजनांदगांव पुन: पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. एस. राजपूत उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2002

क्रमांक 4852/11-2-23-2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री आर. के. बेहार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को दिनांक 24-12-2001 से दिनांक 31-12-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 8 दिन का अर्जित अवकाश दिया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22-12-2001 से 23-12-2001 एवं पश्चात् में दिनांक 1-1-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. बेहार जिला एवं सत्र न्यायाधीश को दुर्ग पुन: पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. बेहार उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2002

क्रमांक 4853/11-2-23-2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री आर. के. बेहार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर को दिनांक 14-1-2002 से दिनांक 18-1-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश दिया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12-1-2002 से 13-1-2002 एवं पश्चात् में दिनांक 18-1-2002 से 20-1-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. बेहार जिला एवं सत्र न्यायाधीश को बस्तर पुन: पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. बेहार उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2002

क्रमांक 4854/11-2-58-2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री डी. के. दामले, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को दिनांक 1-8-2002 से दिनांक 10-8-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 10 दिन का कम्युटेड अवकाश दिया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक एवं पश्चात् में दिनांक 11-8-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. दामले, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को दुर्ग पुन: पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. दामले उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
डिप्टी रजिस्ट्रार.

BEFORE THE HONOURABLE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL (MAIN)
AT JUNAGADH

Claim Case No. 213/1997

Smt. Nargishbanu Jalilbhai ....Applicant

V/s.

1. Chainisinh Jivanlal Sarathi
R/o. Sariya Ta-Sarangnath
Distt. Raipur, (Chhattisgarh).

Owner of Matador No. MP/26/D/1748

6. Shri Badri Prasad Mohanlal Agrawal,
P. O. Pathupali Distt. Bargarh,
State : Chhattisgarh.

Owner of Jeep No. MP/26/E/2199

8. Shri Sikandar Badshah Zahid Ahmed and
Anwsar Badshah and Bashir Ahmed
R/o. Madhuvanwala
P. O. Raigarh (Chhattisgarh). ....Opponents

In response to abovenamed opponents No. 01, 06, and 08.

Whereas the applicant has instituted a claim petition against you under the provisions of Section 166 of the Motor Vehicles Act, 1988 and Sec. 140 of the amendment Motor Vehicles Act, 1994 to recover the compensation amount of Rs. 3,00,000/-. You are hereby summoned to appear in this Court in person or by a pleader duly instructed and able to answer all material questions relating to the case on the 8-7-2002 at 11.00 O'clock in the noon in order that on that day you may inform the Court whether you will or will not contest the claim either in whole or in part and in order that in the event of your deciding to contest the claim either in whole or in part, directions may be given to

you as to the date upon which your written statement is to be filed and the witness or witnesses upon whose evidence you intend to reply in support of your defence are to be produced and also the document or documents upon which you intend to reply.

Take notice that in default of your appearance on the day mentioned above, the matter will be heard and determined in your absence and take further notice that in the event of your admitting the claim either in whole or in part the Court will forthwith pass judgment in accordance with such admissions.

Given under my hand and the seal of the Court on this 30th day of May 2002.

Fixed date : 8-7-2002.

By order,

Sd/-
(V. S. Jotaniya)
Dy. Registrar,